

रा.प्र.स. 66वें दौर के प्रतिदर्श अभिकल्प एवं आँकलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

1.0 परिचय

1.0.1 वैज्ञानिक प्रतिचयन पद्धति से समाजार्थिक आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सन् 1950 में स्थापित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा.प्र.स.) अपना छियासठवां दौर 1 जुलाई, 2009 से आरम्भ कर रहा है। यह सर्वेक्षण 30 जून 2010 तक जारी रहेगा।

1.1 सर्वेक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

1.1.1 विषय व्याप्ति : रा.प्र.स. का 66वां दौर (जुलाई 2009 - जून 2010) को 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय' और 'रोजगार और बेरोजगारी' के सर्वेक्षण के लिए चिह्नित किया गया है। 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय' एवं 'रोजगार और बेरोजगारी' पर होने वाला यह सर्वेक्षण इस श्रृंखला का आठवां पंचवार्षिक सर्वेक्षण होने जा रहा है, पिछला सर्वेक्षण राप्रस के 61वें दौर (2004-2005) में किया गया था।

1.1.2 भौगोलिक व्याप्ति : यह सर्वेक्षण निम्नलिखित को छोड़कर सम्पूर्ण भारतीय संघ में किया जायेगा :

- नागालैंड के सुदूरवर्ती ग्राम, जो बस मार्ग से 5 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित हैं, और
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वे ग्राम जो वर्ष भर अगम्य रहते हैं।

जम्मू एवं कश्मीर के लेह (लद्दाख) और कारगिल जिलों के लिए केन्द्रीय प्रतिदर्श के लिए अलग से कोई प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाई (प्र.च.इ.) नहीं होगी। इन दोनों जिलों के लिए, 'राज्य प्रतिदर्श' के लिए बनायी गई प्रतिदर्श प्रचइयों को ही केन्द्रीय प्रतिदर्श माना जाएगा। राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा भरी हुई अनुसूचियों की एक प्रति रा.प्र.स.सं. के समक विधायन प्रभाग को विधायन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1.1.3 सर्वेक्षण की अवधि एवं कार्य योजना : सर्वेक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी, जो 1 जुलाई 2009 से आरम्भ होकर 30 जून, 2010 को समाप्त होगी। इस दौर की सर्वेक्षण अवधि को चार उप-दौरों में बांटा जाएगा। प्रत्येक उप-दौर तीन-तीन महीने की अवधि का होगा :-

उप-दौर 1 :	जुलाई-सितम्बर 2009
उप-दौर 2 :	अक्टूबर-दिसम्बर 2009
उप-दौर 3 :	जनवरी-मार्च 2010
उप-दौर 4 :	अप्रैल-जून 2010

चारों उप-दौरों में से प्रत्येक को सर्वेक्षण हेतु प्रतिदर्श ग्राम/खंडों (प्र.च.इ.) की समान संख्या आबंटित की जाएगी ताकि सम्पूर्ण सर्वेक्षण अवधि में प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाइयों (प्र.च.इ.यों) की एक समान संख्या का आबंटन सुनिश्चित किया जा सके। इसका प्रयास किया जाए कि प्रत्येक प्र.च.इ. का सर्वेक्षण उसी उप-दौर में किया जाए, जिसके लिए वह आबंटित है। इस प्रतिबंध को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां की विषम क्षेत्रीय स्थितियों को देखते हुए, सख्ती से लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

1.1.4 पूछताछ की अनुसूचियां : इस दौर में, निम्नलिखित अनुसूचियों पर पूछताछ की जायेगी :

अनुसूची 0.0	:	परिवारों की सूची
अनुसूची 1.0	:	उपभोक्ता व्यय
अनुसूची 10	:	रोजगार और बेरोजगारी

यह निर्णय लिया गया है कि इस दौर में अनुसूची 1.0 के दो प्रश्नों यानी अनुसूची प्रश्न 1 और अनुसूची प्रश्न 2 पर पूछताछ की जायेगी। अनुसूची प्रश्न 1 राप्रस 61वें दौर की अनुसूची 1.0 के समान है। खाद्य, पान, तम्बाकू और नशीले द्रव्य की कुछ मदे जिनके लिए अनुसूची प्रश्न 1 में संदर्भ अवधि 30 दिन है, की तुलना में अनुसूची प्रश्न 2 में भिन्न संदर्भ अवधि (7 दिनों की) है। विवरण के लिए अध्याय तीन देखें।

1.1.5 राज्यों का भाग लेना : इस दौर में सभी राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र भाग ले रहे हैं सिवाय अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादर एवं नागर हवेली तथा लक्षद्वीप के। निम्नलिखित तालिका भाग लेने वाले राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों के सुमेलन प्रतिरूप को दर्शाती है :

नागालैंड (नगरीय)	:	तीन गुणा
जम्मू व कश्मीर, मणिपुर एवं दिल्ली	:	दो गुणा
महाराष्ट्र (नगरीय)	:	डेढ़ गुणा
गुजरात	:	समान से कम
शेष राज्य/सं.रा. क्षेत्र	:	समान

1.2 खण्ड I की अंतर्वस्तु

1.2.0 इस खंड में चार अध्याय हैं। अध्याय एक, संपूर्ण सर्वेक्षण संकार्य पर दृष्टिपात करने के अतिरिक्त, सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दों की संकल्पना और परिभाषाओं पर भी चर्चा करता है। यह इस दौर के लिए अपनाये गये प्रतिदर्श अभिकल्प और परिवारों के चयन की क्रियाविधि की विस्तृत व्याख्या भी करता है। अनुसूची 0.0, अनुसूची 1.0 और अनुसूची 10 को भरने के अनुदेश क्रमशः अध्याय दो से चार में दिये गये हैं।

1.3 प्रतिदर्श अभिकल्प

1.3.1 प्रतिदर्श अभिकल्प की रूपरेखा : 66वें दौर के सर्वेक्षण के लिए एक स्तरीकृत बहुचरणीय अभिकल्प अपनाया गया है। प्रथम चरण इकाइयां (प्र.च.इ.) ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2001 जनगणना ग्राम (केरल के मामले में पंचायत वार्ड) और नगरीय क्षेत्र में नगरीय ढांचा सवेक्षण (न.ढा.स.) खण्ड होंगे। दोनों क्षेत्रों में अंतिम चरण इकाइयां (USU) परिवार होंगे। बड़ी प्र.च.इ.यों के मामलों में, अर्थात् खेड़ा समूह(खे.स.)/उप खंड(उ.खं.) गठन योग्य ग्रामों/नगरों/खण्डों में प्रत्येक प्र.च.इ. में से दो खे.स./उ.खंडों का चयन एक मध्यवर्ती चरण होगा।

1.3.2 प्रथम चरण इकाइयों के लिए प्रतिचयन ढांचा : ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 2001 जनगणना ग्रामों (यहां से ग्राम का अर्थ केरल के लिए पंचायत वार्ड होगा) की सूची प्रतिचयन ढांचे का गठन करेगी। नगरीय क्षेत्र के लिए, नगरीय ढांचा सर्वेक्षण (न.ढा.स.) खण्डों की नवीनतम उपलब्ध सूची को प्रतिचयन ढांचा माना जाएगा।

1.3.3 स्तरीकरण : सामान्य तौर पर कहा जाये तो एक राज्य/सं.रा.क्षे. के प्रत्येक जिले के भीतर दो मूल स्तर गठित किये जायेंगे : (i) ग्रामीण स्तर जिसमें जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र आयेंगे और (ii) नगरीय स्तर जिसमें जिले के सभी नगरीय क्षेत्र आयेंगे। तथापि एक जिले के नगरीय क्षेत्रों के भीतर यदि 2001 जनगणना के अनुसार 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले एक या अधिक शहर हैं तो उनमें से प्रत्येक एक भिन्न मूल स्तर बनायेगा और जिले के शेष नगरीय क्षेत्रों को एक भिन्न मूल स्तर का माना जायेगा।

1.3.4 उप-स्तरीकरण : नगरीय क्षेत्र में कोई उप-स्तरीकरण नहीं होगा। तथापि सभी नगरीय स्तरों के लिए बाल श्रमिकों की पर्याप्त संख्या प्राप्त करने हेतु प्रत्येक स्तर को इस प्रकार दो उप-स्तरों में विभाजित किया जायेगा :

उप-स्तर 1 : बाल-श्रमिकों का अनुपात (p) > 2P वाले सभी ग्राम (जहां P जनगणना 2001 के अनुसार राज्य/ सं.रा.क्षे. के लिए बाल श्रमिकों का औसत अनुपात है)

उप-स्तर 2 : शेष ग्राम।

1.3.5 कुल प्रतिदर्श आकार (प्र.च.इ.यां) : 12784 प्र.च.इ.यां केन्द्रीय प्रतिदर्श के लिए एवं 13724 प्र.च.इ.यां राज्य प्रतिदर्श के लिए समस्त भारत स्तर पर आबंटित की गई हैं।

1.3.6 राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को कुल प्रतिदर्शों का आबंटन : राज्यों और सं.रा.क्षे. को जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में प्रतिदर्श प्र.च.इ. की कुल संख्या आबंटित की गई है, ताकि प्रत्येक राज्य/सं.रा.क्षे. को एक न्यूनतम प्रतिदर्श आबंटित हो। ऐसा करते समय क्षेत्र अन्वेषकों की संख्या के रूप में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखा गया है।

1.3.7 ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को राज्य/सं.रा.क्षे. स्तरीय प्रतिदर्शों का आबंटन : राज्य/सं.रा.क्षे. स्तरीय प्रतिदर्श का आबंटन जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय क्षेत्र पर दोगुना भार देते हुए दो क्षेत्रों के बीच इस प्रतिबंध के अधीन किया गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि जैसे बड़े राज्यों के लिए नगरीय प्रतिदर्श आकार ग्रामीण प्रतिदर्श आकार से बड़ा न हो। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक राज्य/सं.रा.क्षे. को अलग-अलग न्यूनतम 16 प्रचइयां (यथासंभव) आबंटित की गई हैं। पुनः ग्रामीण और नगरीय दोनों के लिए राज्य स्तरीय आबंटन कुछ मामलों में सीमान्त रूप से व्यवस्थित किये गये हैं ताकि प्रत्येक स्तर को न्यूनतम 4 प्रचइयों का आबंटन प्राप्त हो सके।

1.3.8 स्तरों/उप-स्तरों का आबंटन : एक राज्य/सं.रा.क्षे. के प्रत्येक क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्तरों को, जनगणना 2001 के अनुसार स्तर जनसंख्या के अनुपात में, संबंधित प्रतिदर्श आकार आबंटित किये जायेंगे। स्तर/उप-स्तर तल पर आबंटन को 4 के एक न्यूनतम प्रतिदर्श आकार सहित 4 के एक गुणज पर समायोजित किया जायेगा।

1.3.9 प्र.च.इ.यां का चयन : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, प्रत्येक स्तर/उप-स्तर से, प्रतिदर्श ग्रामों की आवश्यक संख्या का चयन प्रतिस्थापन सहित आकार की आनुपातिक प्रायिकता (PPSWR) द्वारा किया जायेगा, जहां आकार जनगणना 2001 के अनुसार ग्राम की जनसंख्या है। नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक स्तर से प्रचइयों का चयन प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) द्वारा किया जायेगा। चार उप-दौरों में ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रतिदर्शों को दो स्वतंत्र उप-प्रतिदर्श के रूप में और प्रतिदर्शों की समान संख्या में निकाला जायेगा।

1.3.10 खेड़ा-समूहों/उप-खण्डों का चयन - महत्वपूर्ण कदम

1.3.10.1 प्रचइ की सीमाओं की सही पहचान : क्षेत्र अन्वेषकों का पहला महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिदर्श सूची में दिये गये विवरणों के अनुसार प्रतिदर्श प्र.च.इ. की सही सीमाओं को सुनिश्चित करना। नगरीय प्रतिदर्शों के लिए, प्रत्येक प्रचइ की सीमाओं की पहचान प्रतिदर्श सूची में विनिर्दिष्ट ढांचा संकेत के अनुसूची मानचित्र के आधार पर की जायेगी (न ढां स की बाद की एक अवधि के लिए खंड का मानचित्र उपलब्ध होने पर भी ऐसा किया जायेगा)।

1.3.10.2 खेड़ा-समूह/उप-खंड गठन का मापदंड : प्रचड़ की सीमाओं की पहचान के बाद, यह देखा जाना है कि क्या सूचीकरण पूरे प्रतिदर्श प्रचड़ में किया जायेगा या नहीं। यदि चयित प्र.च.इ. की जनसंख्या 1200 या अधिक पायी जाती है, तो उसे ग्रामीण क्षेत्र में 'खेड़ा-समूहों' और नगरीय क्षेत्र में 'उप खंडों' की उपयुक्त संख्या (जैसे D) से भाग दिया जायेगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। :-

प्रतिदर्श प्र.च.इ. की लगभग वर्तमान जनसंख्या	गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूह/ उप-खंडों की संख्या
1200 से कम (कोई खे.स./उ.ख. नहीं)	1
1200 से 1799	3
1800 से 2399	4
2400 से 2999	5
3000 से 3599	6
..... इसी प्रकार आगे	

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड (चार जिले देहरादून (P), नैनीताल (P), हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर) और जम्मू-कश्मीर के पूंछ, राजौरी, उधमपुर, डोडा जिलों और केरल के इडुक्की जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूहों की संख्या इस प्रकार होगी :

प्रतिदर्श ग्राम की लगभग वर्तमान जनसंख्या	गठित किये जाने वाले खे.स. की सं.
600 से कम (खेड़ा समूह नहीं)	1
600 से 899	3
900 से 1199	4
1200 से 1499	5
.... और इसी प्रकार आगे	

1.3.10.3 खेड़ा-समूह/उप-खंडों का गठन और चयन : यदि प्रतिदर्श प्रचड़ में खेड़ा-समूहों/उप-खंडों का गठन किया जाना है, तो ऐसा न्यूनतम बराबर जनसंख्या द्वारा किया जाना चाहिए (विवरण अध्याय दो में दिये गये हैं)। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूह/उप-खंड भौतिक सीमा चिहनों द्वारा स्पष्टतः पहचानने योग्य होने चाहिए।

एक बड़ी प्र.च.इ. जहां खेड़ा समूह/उप-खंड गठित किये गये हैं, में से दो खेड़ा-समूहों (खे.स.)/उप खण्डों(उ.ख.) का चयन इस प्रकार किया जायेगा - जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशत हिस्से वाले एक खे.स./उ.ख. का चयन हमेशा होगा और उसे खे.स./उ.ख. 1 माना जाएगा; एक और खे.स./उ.ख. का चयन शेष बचे खे.स./उ.खण्डों से सरल यादृच्छिक प्रतिचयन से किया जायेगा एवं उसे खे.स./उ.ख. 2 माना जाएगा। दो चयित खेड़ा समूह/उप खंडों में सूचीकरण एवं चयन स्वतन्त्र रूप से किया जायेगा। बगैर खे.स./उ.ख. गठन वाली प्र.च.इ.यों प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. संख्या 1 मानी जाएगी। यह नोट किया जाए कि यदि एक से अधिक खे.स./उ.ख. की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत हिस्सा समान हो तो उनमें से एक जिसका सूचीकरण खण्ड 4.2 की अनु. 0.0 में पहले हुआ है उसे खे.स./उ.ख. 1 माना जाएगा।

1.4 परिवारों का सूचीकरण : खे.स./उप खंडों अर्थात् सूचीकरण के लिए विचारयोग्य क्षेत्रों के निर्धारण के पश्चात् अगला चरण है सभी परिवारों का सूचीकरण करना (इनमें अस्थायी रूप से तालाबंद पाये जाने वाले भी शामिल होंगे, इनकी अस्थायीत्वता को स्थानीय पूछताछ से सुनिश्चित किया जायेगा)। प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. संख्या 1 वाले खे.स./उ.ख. को पहले सूचीबद्ध किया जायेगा और खे.स./उ.ख. संख्या 2 वाले को उसके बाद।

1.5 द्वितीय चरण स्तरों का गठन और परिवारों का आवंटन

1.5.1 रा.प्र.स. 61वें दौर के आंकड़ों के आधार पर नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक रा.प्र.स. क्षेत्र हेतु दो काट-बिन्दु 'A' और 'B' (रु. में) इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं कि जनसंख्या का ऊपरी जो 10% 'B' से अधिक मा.प्र.उ.व्य.(MPCE) वाला हो और जनसंख्या का निचला 30% जो 'A' से कम मा.प्र.उ.व्य. वाला हो। प्रत्येक रा.प्र.स. क्षेत्र के लिए A और B के मान अध्याय दो की सारणी 2 में दिये गये हैं।

1.5.2 चयित प्रचड़/खेड़ा समूह/उप खंड में सूचीबद्ध सभी परिवार अनुसूची 1.0 और अनुसूची 10 दोनों के लिए तीन प्र.च.स्तरों में स्तरीकृत किये जायेंगे। द्वि.च.स्त. की बनावट और तीन अन्वेषण अनुसूचियों नामतः अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1), अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2), और अनुसूची 10 के लिए विभिन्न द्वि.च.स्तरों से सर्वेक्षित किये जाने वाले परिवारों की संख्या इस प्रकार होगी :

द्वि.च.स्त.	द्वि.च.स्तरों की बनावट	परिवारों की संख्या जो सर्वेक्षित होंगे	
		बगैर खे.स./उ.ख. गठन वाली प्र.च.इ.	खे.स./उ.ख. गठन वाली प्र.च.इ. (प्रत्येक खे.स./ उ.ख. के लिए)
ग्रामीण			

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

द्वि.च.स्त. 1 :	अपेक्षाकृत सम्पन्न परिवार	2	1
द्वि.च.स्त. 2 :	शेष में से, गैर कृषि कार्यकलापों द्वारा प्रमुख अर्जन करने वाले परिवार	4	2
द्वि.च.स्त. 3 :	अन्य परिवार	2	1
नगरीय			
द्वि.च.स्त. 1 :	नगरीय जनसंख्या के ऊपरी 10% मा.प्र.उ. व्य. वाले परिवार (मा.प्र.उ.व्य. > B)	2	1
द्वि.च.स्त. 2 :	नगरीय जनसंख्या के मध्यवर्ती 60% मा.प्र. उ.व्य. वाले परिवार ($A \leq \text{मा.प्र.उ.व्य.} \leq B$)	4	2
द्वि.च.स्त. 3 :	नगरीय जनसंख्या के निचले 30% मा.प्र.उ. व्य. वाले परिवार	2	1

1.7 परिवारों का चयन : प्रत्येक अनुसूची के लिए प्रत्येक द्वि.च.स्त. से प्रतिदर्श परिवारों का चयन प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (ड्रॉइंग) द्वारा किया जायेगा। यदि एक परिवार का चयन एक से अधिक अनुसूचियों के लिए हुआ है, तो उस परिवार से प्राथमिकता क्रम में अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1), अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2), और अनुसूची 10 में से केवल एक अनुसूची पर पूछताछ की जायेगी और उस स्थिति में दूसरी अनुसूची के लिए परिवार को प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा। यदि एक परिवार का चयन अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1) के लिए हुआ है तो इसका चयन अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2), और अनुसूची 10 के लिए नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार यदि एक परिवार का चयन अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1) के लिए नहीं किया गया पर अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2) के लिए चयन किया गया है तो इसका चयन अनुसूची 10 के लिए नहीं किया जायेगा।

7 प्राक्कलन प्रक्रिया

7.1 संकेतन :

एस - स्तर के लिए पादाक्षर

टी = टी- उपस्तर (केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए) के लिए पादाक्षर

एम = उप-प्रतिदर्श के लिए पादाक्षर (एम=1, 2)

आइ = आइ-एफएसयू [ग्राम (पंचायत वार्ड)/ब्लॉक/नन-यूएफएस भार]

डी = हेमलेट-समूह/उप-खंड (डी= 1, 2)

जे = जे-द्वितीय चरण स्तर में एफ समूह/एचजी/एसबी [जे=1,2, या 3]

के = एक एफएसयू/एचजी/एसबी के तहत खास द्वितीय चरण स्तर के अर्न्तगत के - प्रतिदर्श परिवार

डी = प्रतिदर्श एफएसयू में बना एचजीएस/एसबी'एस का कुल संख्या

डी* = 0 यदि डी = 1

= (डी-1) एफएसयूएस, डी > 1 के साथ के लिए

एन = किसी नगरीय स्तर में एफएसयूएस का कुल संख्या 1

जेड = ग्रामीण स्तर/उप-स्तर का कुल आकार (= आकारों का योग एक स्तर/उप-स्तर के सभी एफएसयूएस के लिए)

जेड = चयन के लिए प्रयुक्त प्रतिदर्श ग्राम का आकार

एन = 0 "शून्य मामलों" सहित सर्वेक्षित प्रतिदर्श एफएसयूएसडी संख्या, किन्तु खास उप-प्रतिदर्श एवं स्तर/उप-स्तर के लिए आकस्मिक को बाद करके

एच = एफएसयू/हेमलेट-समूह या प्रतिदर्श एफएसयू का उप-खंड- के द्वितीय चरण स्तर में सूचीबद्ध परिवारों की कुल संख्या।

एच = एफएसयू/हेमलेट-समूह या प्रतिदर्श एफएसयू का उपखण्ड के द्वितीय चरण स्तर में सूचीबद्ध परिवारों की कुल संख्या,

एन, वाय = आँकलन अर्न्तगत n,y की विशिष्टताओं की संप्रेक्षित मूल्य,

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

\hat{X} , \hat{Y} (एक्स, वाय) = n, y विशिष्टताओं के लिए आँकलित जनसंख्या का कुल X, Y उपरोक्त प्रतीकों के तहत, $y_{smidjk} = y$ की विशिष्टता का संप्रेक्षत मूल्य, के- परिवार के लिए, जे-द्वितीय चरण स्तर में, डी-एचजी/एसबी/(डी=1, 2) के, आइ-एफएसयूका, एस-स्तर के टी-उपस्तर के लिए एम-उप प्रतिदर्श के तहत । तौ भी, समझने की सुगमता के लिए कुछ संकेतांकां को निम्नलिखित अनुच्छेद (पैरा) में जहाँ वे स्पष्ट हैं, दबा दिया गया है ।

7.2 किसी खास उप-प्रतिदर्श एवं स्तर (नगरीय के लिए)/उप-स्तर (ग्रामीण के लिए) के लिए कुल प्राक्कलन के सूत्र :-

7.2.1. अनुसूची 0.0

7.2.1.1 ग्रामीण

(i) स्तर/उप स्तर में निम्न विशिष्टता रखने वाले परिवारों की संख्या के प्राक्कलन के लिए

$$\hat{Y} = \frac{Z}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{z_i} [y_{i1} + D_i^* \times y_{i2}]$$

जहाँ y_{i1} , y_{i2} परिवारों की कुल संख्या है जो क्रमशः i -th FSU के hg's 1 Q 2 में y विशिष्टता रखता है

(ii) एक स्तर में निम्न विशिष्टता रखने वाले ग्रामों की संख्या प्राक्कलन के लिए

$$\hat{Y} = \frac{Z}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{z_i} y_i$$

जहाँ y_i को 1 के रूप में विशिष्टता धारण करने वाले प्रतिदर्श ग्राम और नहीं तो 0 के लिए लिया गया है

7.2.1.2 नगरीय

(i) एक स्तर में निम्न विशिष्टता धारण करने वाले परिवारों की संख्या के प्राक्कलन के लिए

$$\hat{Y} = \frac{N}{n} \sum_{i=1}^n [y_{i1} + D_i^* \times y_{i2}]$$

जहाँ y_{i1} और y_{i2} परिवारों की कुल संख्या है जो क्रमशः i -th FSU के उप खंड 1 और d2 में y विशिष्टता रखता है

टिप्पणी:- जम्मू एवं कश्मीर के लेह (लेह नगर) और कारगिल (कारगिल नगर) जिला में प्रत्येक में केवल एक FSU है ।

इनमें से दोनों प्रत्येक उपदौर में चुने एवं दोहराये जाते हैं । इस मामले में $N = 1$ उपर के सूत्र में और n पुनरावृत्ति सहित वास्तव में सर्वेक्षित FSU होगा ($n = 4$ पूरे दौर के लिए और $n = 2$ पूरे दौर के यह मानकर कि कोई दुर्घटना नहीं हुआ है, के उप-प्रतिदर्श के लिए) दोनों जिलों में प्रत्येक के लिए ।

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

7.2.2 अनुसूची 1.0 (टाईप 1)/1.0 (टाईप 2)/10

7.2.2.1 ग्रामीण :

(i) एक उप-स्तर के द्वितीय चरण स्तर **j-th** के लिए :

$$\hat{Y}_j = \frac{Z}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \frac{1}{z_i} \left[\frac{H_{i1j}}{h_{i1j}} \sum_{k=1}^{h_{i1j}} y_{i1jk} + D_i^* \times \frac{H_{i2j}}{h_{i2j}} \sum_{k=1}^{h_{i2j}} y_{i2jk} \right]$$

(ii) सभी द्वितीय चरण संयुक्त स्तर :

$$\hat{Y} = \sum_j \hat{Y}_j$$

(iii) एक (\hat{Y}_s) स्तर के लिए प्राक्कलन उप-स्तर (\hat{Y}_{st}) के स्तर के प्राक्कलन को मिलाकर प्राप्त किया जायगा ।

7.2.2.2 नगरीय :

(i) एक स्तर के द्वितीय चरण स्तर **j-th** के लिए :

$$\hat{Y}_j = \frac{N}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \left[\frac{H_{i1j}}{h_{i1j}} \sum_{k=1}^{h_{i1j}} y_{i1jk} + D_i^* \times \frac{H_{i2j}}{h_{i2j}} \sum_{k=1}^{h_{i2j}} y_{i2jk} \right]$$

(ii) सभी द्वितीय चरण संयुक्त स्तर के लिए :

$$\hat{Y} = \sum_j \hat{Y}_j$$

टिप्पणी :- जैसा कि पहले सेक्सन 7.2.1.2, $N = 1$ में जम्मू एवं काश्मीर के लेह एवं कारगिल जिला के मामले में उपर के सूत्र में उल्लिखित हुआ है ।

7.3 कुल योग के लिए समग्र प्राक्कलन:

दो उप-प्रतिदर्श पर आधारित प्राप्त कुल योग के लिए एक स्तर (\hat{Y}_s) के समग्र प्राक्कलन हेतु जैसे :

$$\hat{Y}_s = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^2 \hat{Y}_{sm}$$

7.4 कुल योग के लिए राज्य/के.शा.प्र./अखिल भारतीय स्तर का समग्र प्राक्कलन :

राज्य/के.शा.प्र./अखिल भारतीय स्तर का समग्र आक्कलन \hat{Y} राज्य/के.शा.प्र./अखिल भारत के सभी स्तर से उपर स्तर प्राक्कलन \hat{Y}_s को जोड़कर पाया गया है ।

7.5 अनुपातोंका प्राक्कलन :

राज्य/के.शा.प्र./अखिल भारतीय स्तर के क्रमशः y और n दे विशिष्टताओं के लिए कुल योग Y और X के समग्रप्राक्कलन हेतु \hat{Y} and \hat{X} मानलिया गया

तब, (\hat{R}) . $(R = \frac{Y}{X})$ अनुपात के संयुक्त अनुपात प्राक्कलन का $\hat{R} = \frac{\hat{Y}}{\hat{X}}$ के रूप में प्राप्त होगा ।

7.6 अशुद्धि प्राक्कलन : उपर के प्राक्कलन की भिन्नता/असंगतता निम्नलिखित होगी

7.6.1 कुल योग \hat{Y} :

$$Var(\hat{Y}) = \sum_s Var(\hat{Y}_s) \text{ जहाँ } Var(\hat{Y}_s) \text{ is given by}$$

$$Var(\hat{Y}_s) = \sum_t \frac{1}{4} (\hat{Y}_{st1} - \hat{Y}_{st2})^2 \text{ ग्रामीण स्तर के लिए, जहाँ } \hat{Y}_{st1} \text{ और } \hat{Y}_{st2} \text{ क्रमशः स्तर "S" और उप स्तर "+" के लिए उप-प्रतिदर्श 1 एवं उप-प्रतिदर्श 2 हेतु प्राक्कलन हैं ।}$$

और

$$Var(\hat{Y}_s) = \frac{1}{4} (\hat{Y}_{s1} - \hat{Y}_{s2})^2 \text{ नगरीय स्तर के लिए } \hat{Y}_{s1} \text{ और } \hat{Y}_{s2} \text{ क्रमशः उप-प्रतिदर्श 1 और 2 के लिए स्तर प्राक्कलन हैं ।}$$

7.6.2 अनुपात \hat{R} के लिए :

$$M\hat{S}E(\hat{R}) = \frac{1}{4\hat{X}^2} \sum_s \sum_t \left[(\hat{Y}_{st1} - \hat{Y}_{st2})^2 + \hat{R}^2 (\hat{X}_{st1} - \hat{X}_{st2})^2 - 2\hat{R}(\hat{Y}_{st1} - \hat{Y}_{st2})(\hat{X}_{st1} - \hat{X}_{st2}) \right]$$

ग्रामीण के लिए

$$M\hat{S}E(\hat{R}) = \frac{1}{4\hat{X}^2} \sum_s \left[(\hat{Y}_{s1} - \hat{Y}_{s2})^2 + \hat{R}^2 (\hat{X}_{s1} - \hat{X}_{s2})^2 - 2\hat{R}(\hat{Y}_{s1} - \hat{Y}_{s2})(\hat{X}_{s1} - \hat{X}_{s2}) \right]$$

नगरीय के लिए ।

7.6.3 सम्बन्धित स्तरीय अशुद्धि (RSE) का प्राक्कलन :-

$$R\hat{S}E(\hat{Y}) = \frac{\sqrt{\text{Var}(\hat{Y})}}{\hat{Y}} \times 100$$

$$R\hat{S}E(\hat{R}) = \frac{\sqrt{M\hat{S}E(\hat{R})}}{\hat{R}} \times 100$$

8 गुणकों :

स्तर/उप-स्तर/द्वितीय-चरण-स्तर, उप-प्रतिदर्श अनुसूची के तरह के लिए गुणकों का सूत्र :-

अनुसूची प्रकार	सेक्टर	गुणकों का सूत्र	
		hg / sb 1	hg / sb 2
0.0	ग्रामीण	$\frac{Z_{st}}{n_{stm}} \times \frac{1}{z_{stmi}}$	$\frac{Z_{st}}{n_{stm}} \times \frac{1}{z_{stmi}} \times D_{stmi}^*$
	नगरीय	$\frac{N_s}{n_{sm}}$	$\frac{N_s}{n_{sm}} D_{smi}^*$
1.0 (टाईप 1)/ 1.0 (टाईप 2)/ 10	ग्रामीण	$\frac{Z_{st}}{n_{stmj}} \times \frac{1}{z_{stmi}} \times \frac{H_{stmi1j}}{h_{stmi1j}}$	$\frac{Z_{st}}{n_{stmj}} \times \frac{1}{z_{stmi}} \times D_{stmi}^* \times \frac{H_{stmi2j}}{h_{stmi2j}}$
	नगरीय	$\frac{N_s}{n_{smj}} \times \frac{H_{smi1j}}{h_{smi1j}}$,	$\frac{N_s}{n_{smj}} \times D_{smi}^* \times \frac{H_{smi2j}}{h_{smi2j}}$,
(j = 1, 2, 3)			

- टिप्पणी (i) किसी प्रभाव क्षेत्र के लिए किसी विशिष्टता प्राक्कलनके लिए प्रतिदर्श अभिकल्प में खासतौर पर विचार नहीं किया गया परिवर्तनीय संकेतक प्रयोग में लाया जाय ।
- (ii) गुणकों को सूचीबद्ध अनुसूची में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सूचीबद्ध अनुसूची और विस्तृत पूछ-ताछ अनुसूची के बीच कोई गलत वर्गीकरण के होते हुए भी संगणित करना है ।
- (iii) $D_{stmi}^* = 0$ विशिष्टता धारण करने वाले ग्रामों की संख्या के प्राक्कलन के लिए सम्बन्धित गुणकों में और ग्राम के लिए (देखें पाराग्राफ 7.2.1.1 इस मामले में) केवल एक गुणक होगा ।

9 शून्य मामलों , अपघटना/दुर्घटना मामलों, इत्यदि के लिए उपाय :

9.1 एक स्तर/उप-स्तर में सर्वेक्षित FSUs (n_{sm} या n_{stm}) डे संख्या की गिनती करते समय अनुसूची 0 में सर्वेक्षण कोड 1 से 6 तक सहित सभी FSUs पर बिचार किया जायगा, इसके अतिरिक्त यदि कोई SSU एक खास अनुसूची के लिए संरचना में उपलब्ध नहीं है तो भी वह FSU उस अनुसूची के लिए सर्वेक्षित माना जायगा । तौ भी यदि एक खास अनुसूची टाईप के SSUs FSU संरचना में उपलब्ध है लेकिन उनमें से कोई भी सर्वेक्षित नहीं किया जा सका है, तो वह FSU अपघटना/दुर्घटना मानी जायगी, और उस अनुसूची के मामले में वह सर्वेक्षित नहीं माना जायगा ।

9.2 अपघटना/दुर्घटना मामले :- अनुसूची 0.0 के अनुसार सर्वेक्षण कोड 7 सहित FSUs अपघटना/दुर्घटना मानी जायेगी । इसके अलावे एक FSU जिसका सर्वेक्षण हो गया निम्नलिखित पारा में दिए गए विशेष अनुसूची टाईप और विशेष द्वितीय चरण स्तर के लिए अपघटना/दुर्घटना मानी जायेगी । :-

9.2.1 अनुसूची 0.0 के अनुसार, सर्वेक्षण कोड 1 या 4 सहित FSUs की J-th द्वितीय चरण स्तर के संरचना में परिवारों की संख्या 0 से अधिक लेकिन डाटा फाईल के अनुसार सर्वेक्षित परिवारों की संख्या, hg/sb दो को nil (शून्य) मानते हुए (जैसे $H_{i1j} + H_{i2j} > 0$ किन्तु $h_{i1j} + h_{i2j} = 0$) को J-th द्वितीय चरण स्तर के लिए अपघटना/दुर्घटना मानी जायगी ।

अनुसूची 0.0 अपघटना/दुर्घटना को छोड़कर जैसा कि उपर पहचान किया गया है के अनुसार 1से 6 सर्वेक्षण कोड सहित सभी FSUs सर्वेक्षित FSUs (n_{stmj}) संख्या के रूप में इसके लिए (स्तर/उपस्तर) × (द्वितीय चरण स्तर) ली जायगी ।

जब J-th द्वितीय चरण स्तर के लिए अपघटना/दुर्घटना एक खास hg/sb के लिए होती है, लेकिन किसी अन्य hg/sb के लिए नहीं होती है तो FSU अपघटना/दुर्घटना के रूप में नहीं

मानीजायगी लेकिन अन्य hg/hb के लिए H के मूल्य में कुछ समायोजन, निम्नलिखित ढंग से होगा ।

- (i) hg/sb 1, के लिए मान लिया कि $H_{i1j} > 0$ किन्तु $h_{i1j} = 0$ जबकि hg/sb 2 के लिए $H_{i2j} > 0$ और $h_{i2j} > 0$. उस मामले में $D_i^* \times H_{i2j}$, hg/sb 2 के गुणकों के लिए सूत्र में, $(H_{i1j} + D_i^* \times H_{i2j})$ के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जायगा
- (ii) hg/sb 1 के लिए माना लिया कि $H_{i1j} > 0$ और $h_{i1j} > 0$ जबकि hg/sb 2 के लिए, $H_{i2j} > 0$ किन्तु $h_{i2j} = 0$. उस मामले में H_{i1j} hg/sb 1 के गुणकों के लिए सूत्र में $(H_{i1j} + D_i^* \times H_{i2j})$ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जायगा ।

यह नोट कर लिया जाय कि n_{smj} और n_{stmj} एक FSU के hg/sb 1 एवं 2 के लिए एक समान रहेगा ।

10. रिक्त/शून्य मामलों में FSU या परिवार स्तर पर द्वितीय चरण स्तर/उप स्तर/स्तर/रा.प्र.स.क्षेत्र में उपाय ।

10.1 अपघटना/दुर्घटना के कारण स्तर/उप स्तर के सभी FSUs का स्तर/उप स्तर रिक्त/शून्य हो सकता है । यह एक उप-प्रतिदर्श या दोनों उप-प्रतिदर्शों में हो सकता है । यदि यह केवल एक उप-प्रतिदर्श से सम्बन्धित है, तब रिक्त/शून्य स्तर/उप-स्तर के लिए प्राक्कलन अन्य उप-प्रतिदर्श के लिए उसी स्तर/उप-स्तर से प्राप्त प्राक्कलन के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाय ।

10.2 जब एक स्तर/उप-स्तर दोनों उप-प्रतिदर्शों में शून्य/रिक्त है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अनुशंसित है :

मामला(I): स्तर/उप-स्तर FSU स्तर के शून्य/रिक्त मामले (जैसे - सर्वेक्षणकोड 7 वाले सभी FSUs)

- (i) यदि एक ग्रामीण उप-स्तर शून्य है तब इसे स्तर के अन्य उप-स्तर के साथ मिलादिया जाय ।

- (ii) सभी FSUs के अपघटना/दुर्घटना के कारण यदि कोई ग्रामीण/नगरीय स्तर (जिला) शून्य है, तो इसे सर्वेक्षण के परिक्षेत्र से बाहर कर दिया जाय । राज्य स्तरीय प्राक्कलन जिला के प्रक्कलन पर आधारित होगी, जिसके लिए प्राक्कलन उपलब्ध हैं, और उसके प्रभाव सम्बन्धी टिप्पण उपयुक्तस्थानों पर जोड़ा जाय ।

मामले (II): स्तर/उप-स्तर द्वितीय चरण स्तर के शून्य मामले (जैसे एक खास द्वितीय चरण स्तर के लिए सभी FSUs दुर्घटनाओं में हैं) :

किसी खास द्वितीय चरण स्तर के लिए एक FSU दुर्घटना हो सकता है, यद्यपि सर्वेक्षण कोड 7 नहीं है । यदि एक स्तर/उप-स्तर के सभी FSUs इस तरह से एक खास द्वितीय-चरण स्तर के लिए दुर्घटनाओं में आ जाते हैं, तो स्तर/उप-स्तर शून्य हो जाएंगे ऐसे मामलों में उप-स्तर, सभी द्वितीय-चरण स्तर जैसा कि उपर के मामले (I) में हैं, अन्य उप-स्तर के साथ मिला दिए जाएंगे ।

तौ भी यदि सभी जिला/स्तर एक खास द्वितीय-चरण स्तर के लिए इस तरह से शून्य हो जाँय तो इस तरह के स्तर के शून्य मामले के लिए निम्नलिखित दिश निदिशों के अनुसार समायोजन किया जाय ।

समायोजन राज्य/के.शा.प्र. के अन्य स्तर/उप-स्तर (रा.प्र.सर्वे. क्षेत्र के अन्दर) मिलाकर किए जाएंगे । मान लिया जाय कि A, B, C और D राज्य/के.शा.प्र./क्षेत्र में चार स्तर हैं और j-th द्वितीय-चरण स्तर के लिए e शून्य है । यदि \hat{Y}_{aj} , \hat{Y}_{bj} और \hat{Y}_{dj} कुल प्राक्कलन हैं क्रमशः A, B और D स्तर/उप-स्तरके लिए, तो स्तर/उप-स्तर C के लिए $\hat{Y}_{cj} \left(\frac{\hat{Y}_{aj} + \hat{Y}_{bj} + \hat{Y}_{dj}}{Z_a + Z_b + Z_d} \times Z_c \right)$ के रूप प्राप्त होगी, जहाँ Z_a , Z_b , Z_c और Z_d क्रमशः A, B, C और D स्तर का माप/आकार हैं ।

11. Z_{st} , N_s , n_{st} , n_s , Z_{sti} , D_{sti} , D^*_{sti} , D_{si} , D^*_{si} , H_{sti1j} , h_{sti1j} , H_{sti2j} , h_{sti2j} : के मूल्यों का सन्दर्भ :-

- (a) Z_{st} , N_s के मूल्यों और आवँटित n_{st} या n_s सभी दौर के लिए परिशिष्ट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सारणी(टेबुल) 2 में और नगरीय क्षेत्र के लिए टेबुल (सारणी) 3 में दिए गए हैं ।

- (b) n_{st} या n_s सारणियों (tables) से नहीं लिया जाना चाहिये। n_{stm} या n_{sm} के मूल्यों को सभी उप-प्रतिदर्श के लिए उपर के पारा 9 में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्राप्त करना है। इसमें अनिरोधित और शून्य मामले समिल रहें लेकिन दुर्घटना मामले बाहर रखे जाँय।
- (c) PPS द्वारा चयनित प्रतिदर्श के लिए z_{sti} का मूल्य ग्रामीण प्रतिदर्शों के लिए “जनसंख्या ढाँचा” शीर्षक के तहत प्रतिदर्श सूची के स्तंभ(कॉलम) से लिए जाते हैं। D_{sti} या D_{si} का मूल्य अनुसूची 0.0 ब्लॉक 1 के मद 16 के लिए जाते हैं। D^*_{sti} या D^*_{si} D_{sti} or D_{si} के मूल्य से परिकलित होता है।
- (d) H_{sti1j}/H_{si1j} , H_{sti2j}/H_{si2j} के मूल्यों को क्रमशः hg/sb के लिए अनुसूची 0.0 के खण्ड 6 स्तंभ (7) से प्राप्त किया जाता है।
- (e) h_{sti1j}/h_{si1j} and h_{sti2j}/h_{si2j} का मूल्य अनुसूची 0.0 के खंड 6, स्तंभ (11) से नहीं लिया जाना चाहिये आँकड़े, दुर्घटना परिवारों को छोड़कर डाटा फाईल में परिवारों की संख्या के गणना द्वारा प्राप्त करना चाहिये।

परिशिष्ट

टेबुल 2 : प्रतिदर्श ग्रामों एवं/खंडों की वितरण							
राज्य/के.शा.प्र.		प्रतिदर्श/खंडों की संख्या					
		केन्द्रीय प्रतिदर्श			राज्य प्रतिदर्श		
संकेतांक	नाम	कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	जम्मू एवं काश्मीर	456*	276*	180*	864	520	344
02	हिमाचल प्रदेश	256	208	48	256	208	48
03	पंजाब	392	196	196	392	196	196
04	चंडीगढ़	40	4	36	0	0	0
05	उत्तरांचल	224	132	92	224	132	92
06	हरियाणा	328	180	148	328	180	148
07	दिल्ली	128	8	120	256	16	240
08	राजस्थान	520	324	196	520	324	196
09	उत्तर प्रदेश	1128	740	388	2256	1480	776
10	बिहार	576	416	160	576	416	160
11	सिक्किम	96	76	20	96	76	20
12	अरुणाचल प्रदेश	216	140	76	216	140	76
13	नागालैंड	128	88	40	208	88	120
14	मणिपुर	320	172	148	640	344	296
15	मीजोरम	192	80	112	192	80	112
16	त्रिपुरा	232	164	68	232	164	68
17	मेघालय	160	108	52	160	108	52
18	आसाम	432	328	104	432	328	104
19	पं. बंगाल	792	448	344	792	448	344
20	झारखंड	344	220	124	344	220	124
21	ओडिसा	504	372	132	504	372	132
22	छत्तीसगढ़	280	188	92	280	188	92
23	मध्य प्रदेश	592	344	248	592	344	248
24	गुजरात	432	216	216	320	160	160
25	दमन एवं दियु	16	8	8	16	8	8
26	दादर एवं न. हवेली	24	12	12	0	0	0
27	महाराष्ट्र	1008	504	504	1260	504	756
28	आंध्र प्रदेश	864	492	372	864	492	372
29	कर्णाटक	512	256	256	512	256	256
30	गोवा	56	20	36	56	20	36

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

31	लक्षदीप	24	8	16	0	0	0
32	केरल	560	328	232	840	492	348
33	तमिलनाडु	832	416	416	832	416	416
34	पोङ्गीचेरी	72	16	56	72	16	56
35	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	72	36	36	0	0	0
सभी		12808*	7524*	5284*	15132	8736	6396

*16 ग्रामीण एवं 8 नगरीय प्रतिदर्शों सहित केवल डीइएस द्वारा राज्य प्रतिदर्श में सर्वेक्षित किया जाना है, जम्मू/का. और अनुसूचियों में से जिसे डीपीडी को केन्द्रीय प्रतिदर्श आँकड़ा में सामिल किए जाने के लिए भेजा जाना है।

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

जम्मू एवं काश्मीर (01)

01	कूपवाड़ा	01	2	624906	24	48
02	बारामूला	02	2	973471	32	60
03	श्रीनगर	03	2	256283	8	16
04	बदगाम	04	2	558734	20	40
05	पुलवामा	05	2	584113	20	40
06	अनन्तनाग	06	2	1004086	32	60
07	लेह (लद्दाख)	07	2	85864	8	8
08	कारगील	08	2	108652	8	8
09	डोडा	09	1	174291	4	8
09	डोडा	09	2	469950	20	40
10	उधमपुर	10	1	240032	4	8
10	उधमपुर	10	2	386858	20	40
11	पुंछ	11	1	202742	4	8
11	पुंछ	11	2	145900	8	16
12	रजौरी	12	2	449637	16	32
13	जम्मू	13	2	887673	32	56
14	कठुआ	14	2	471375	16	32
कुल राज्य				7624567	276	520

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

हिमाचल प्रदेश (02)

01	छम्बा	01	1	54671	4	4
01	छम्बा	01	2	372147	12	12
02	कांगरा	02	1	150504	4	4
02	कांगरा	02	2	1116490	36	36
03	लाहुल एवं स्पीती	03	2	33458	8	8
04	कुल्लु	04	2	351478	12	12
05	मान्डी	05	1	79302	4	4
05	मान्डी	05	2	761565	24	24
06	हमीरपुर	06	1	69307	4	4
06	हमीरपुर	06	2	313224	12	12
07	उना	07	2	408905	16	16
08	बिलासपुर	08	2	319030	12	12
09	सोलन	09	1	82002	4	4
09	सोलन	09	2	327508	12	12
10	सिरमाउर	10	1	80610	4	4
10	सिरमाउर	10	2	330318	12	12
11	शिमला	11	1	66883	4	4
11	शिमला	11	2	488780	16	16
12	किन्नाउर	12	2	78760	8	8
	कुल राज्य			5484942	208	208

पंजाब (03)

01	गुरदासपुर	01	2	1568873	16	16
02	अमृतसर	02	1	255497	4	4
02	अमृतसर	02	2	1627622	12	12
03	कपुरथला	03	2	508066	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04	जालंधर	04	2	1038437	12	12
05	होशियारपुर	05	2	1188693	12	12
06	नवानशहर	06	2	506408	8	8
07	रूपनगर	07	2	487652	8	8
08	फतेहगढ़ साहिब	08	2	386952	8	8
09	लुधियाना	09	2	1339196	12	12
10	मोगा	10	2	716222	8	8
11	फिरोजपुर	11	1	158345	4	4
11	फिरोजपुर	11	2	1137073	12	12
12	मुक्तसर	12	2	578929	8	8
13	फरीदकोट	13	2	357329	8	8
14	भटिंडा	14	2	831545	12	12
15	मानसर	15	2	546331	8	8
16	संगरूर	16	2	1415358	16	16
17	पटियाला	17	2	1039271	12	12
18	सजास नगर (मोहाली)	18	2	427057	8	8
	कुल राज्य			16114856	196	196
चंडिगढ़ (04)						
01	चंडिगढ़	01	2	92121	4	0
	कुल राज्य			92121	4	0
उत्तरांचल (05)						
01	उत्तरकाशी	01	2	272112	8	8
02	चमोली	02	2	319734	8	8
03	रूद्रप्रयाग	03	2	224740	8	8
04	तेहरी गढ़वाल	04	1	64719	4	4
04	तेहरी गढ़वाल	04	2	480248	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
05	देहरादून	05	2	488251	12	12
06	गढ़वाल	06	1	55715	4	4
06	गढ़वाल	06	2	551820	8	8
07	पिथोरगढ़	07	2	402549	8	8
08	बागेश्वर	08	2	241733	8	8
09	अल्मोरा	09	1	103119	4	4
09	अल्मोरा	09	2	473045	8	8
10	चंपावत	10	2	190825	4	4
11	नैनीताल	11	2	280129	8	8
12	उधम नगर	12	2	832614	12	12
13	हरद्वार	13	2	1001029	12	12
14	नैनीताल	14	2	213787	4	4
15	देहरादून (हिल्स)	15	2	115171	4	4
	कुल राज्य			6311340	132	132
हरियाणा (06)						
01	पंचकुला	01	2	260028	8	8
02	अंबाला	02	2	657394	8	8
03	यमुना नगर	03	2	658464	8	8
04	कुरुक्षेत्र	04	2	609952	8	8
05	कैथल	05	2	762649	8	8
06	करनाल	06	2	936353	12	12
07	पानीपत	07	2	575382	8	8
08	सोनीपत	08	2	957813	12	12
09	जिंद	09	2	948251	12	12
10	फतेहाबाद	10	2	670896	8	8
11	सिरसा	11	2	823188	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	हिसार	12	2	1149939	12	12
13	भिवानी	13	2	1165908	12	12
14	रोहतक	14	2	610525	8	8
15	झाड़र	15	2	684988	8	8
16	महेन्द्रगढ़	16	2	702887	8	8
17	रेवारी	17	2	629190	8	8
18	गुरगाँव	18	2	669689	8	8
19	फरीदाबाद	19	2	780304	8	8
20	मेवात	20	2	814585	8	8
	कुल राज्य			15068385	180	180
दिल्ली (07)						
09	सभी जिला संयुक्त		2	944733	8	16
	कुल			944733	8	16
राजस्थान (08)						
01	गंगानगर	01	1	66415	4	4
01	गंगानगर	01	2	1269835	8	8
02	हनुमानगढ़	02	2	1214599	8	8
03	बीकानेर	03	2	1079301	8	8
04	चुरू	04	1	316953	4	4
04	चुरू	04	2	1070762	8	8
05	झुनझुनुन	05	2	1518577	12	12
06	अलवर	06	1	898889	4	4
06	अलवर	06	2	1658804	8	8
07	भरतपुर	07	1	122235	4	4
07	भरतपुर	07	2	1570053	8	8
08	धौलपुर	08	2	806656	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
09	करौली	09	2	1037763	8	8
10	सवाई माधोपुर	10	2	904492	8	8
11	डौसा	11	2	1181278	8	8
12	जयपुर	12	1	92008	4	4
12	जयपुर	12	2	2567050	8	8
13	सीकर	13	1	127640	4	4
13	सीकर	13	2	1687616	8	8
14	नागपुर	14	1	154954	4	4
14	नागपुर	14	2	2142787	8	8
15	जोधपुर	15	2	1909428	12	12
16	जैसलमेर	16	2	431890	8	8
17	बारमेर	17	1	245335	4	4
17	बारमेर	17	2	1574104	8	8
18	जालोर	18	1	526601	4	4
18	जालोर	18	2	812354	8	8
19	सिरोही	19	2	700224	8	8
20	पाली	20	2	1429377	12	12
21	अजमेर	21	1	148752	4	4
21	अजमेर	21	2	1158255	8	8
22	टोंक	22	2	958564	8	8
23	बुंदी	23	2	783068	8	8
24	भीलवाड़ा	24	1	220068	4	4
24	भीलवाड़ा	24	2	1378922	8	8
25	राजसामांड	25	2	858315	8	8
26	उदयपुर	26	1	168807	4	4
26	उदयपुर	26	2	1974200	8	8
27	दुंगारपुर	27	2	1026791	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	बाँसवारा	28	1	222210	4	4
28	बाँसवारा	28	2	1172044	8	8
29	चित्तौरगढ़	29	1	279828	4	4
29	चित्तौरगढ़	29	2	1234621	8	8
30	कोटा	30	2	730028	8	8
31	बारन	31	2	849756	8	8
32	झालवार	32	2	1012204	8	8
	कुल			43294413	324	324

उत्तर प्रदेश (09)

01	सहारनपुर	01	2	2149633	12	24
02	मुजफ्फर नगर	02	1	395352	4	8
02	मुजफ्फर नगर	02	2	2244260	12	24
03	बिजनौर	03	1	94667	4	8
03	बिजनौर	03	2	2276442	8	16
04	मोरादाबाद	04	1	434878	4	8
04	मोरादाबाद	04	2	2212655	12	24
05	रामपुर	05	2	1443349	8	16
06	ज्योतिबा फूले नगर	06	2	1131065	8	16
07	मेरठ	07	2	1545430	8	16
08	बागपत	08	2	934584	8	16
09	गाजियाबाद	09	2	1474209	8	16
10	गौतमबुद्ध नगर	10	2	752645	8	16
11	बुलंदशहर	11	1	963084	4	8
11	बुलंदशहर	11	2	1275651	8	16
12	अलगढ़	12	2	2127622	8	16
13	हाथरस	13	2	1071567	8	16

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	मथुरा	14	2	1487637	8	16
15	आगरा	15	2	2052762	8	16
16	फिरोजाबाद	16	2	1430424	8	16
17	ईटा	17	2	2306840	12	24
18	मैनपुरी	18	2	1363658	8	16
19	बदाऊँ	19	1	160607	4	8
19	बदाऊँ	19	2	2351982	12	24
20	बरेली	20	1	386939	4	8
20	बरेली	20	2	2040405	12	24
21	पीलीभीत	21	2	1351092	8	16
22	शाहजहाँपुर	22	2	2022597	8	16
23	खेरी	23	1	391020	4	8
23	खेरी	23	2	2470825	12	24
24	सीतापुर	24	1	248315	4	8
24	सीतापुर	24	2	2938685	12	24
25	हरदोई	25	1	200386	4	8
25	हरदोई	25	2	2790776	12	24
26	उन्नाव	26	1	150346	4	8
26	उन्नाव	26	2	2138540	8	16
27	लखनऊ	27	2	1326886	8	16
28	राय बरेली	28	1	137399	4	8
28	राय बरेली	28	2	2460978	12	24
29	फर्रुखाबाद	29	2	1228988	8	16
30	कन्नौज	30	2	1157010	8	16
31	ईटावा	31	2	1030795	8	16
32	अरैया	32	2	1011091	8	16
33	कानपुर देहात	33	2	1455629	8	16

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	कानपुर नगर	34	2	1370582	8	16
35	जालौन	35	2	1114140	8	16
36	झाँसी	36	2	1033356	8	16
37	ललितपुर	37	2	835871	8	16
38	हमीरपुर	38	2	870043	8	16
39	महोबा	39	2	553631	8	16
40	बाँदा	40	2	1293352	8	16
41	चित्रकूट	41	2	689750	8	16
42	फतेहपुर	42	2	2070803	8	16
43	प्रतापगढ़	43	1	170468	4	8
43	प्रतापगढ़	43	2	2416188	12	24
44	कौशाम्बी	44	2	1201495	8	16
45	इलाहाबाद	45	1	456209	4	8
45	इलाहाबाद	45	2	3273373	12	24
46	बाराबंकी	46	1	396451	4	8
46	बाराबंकी	46	2	2379048	12	24
47	फैजाबाद	47	2	1457038	8	16
48	अम्बेदकर नगर	48	2	1845888	8	16
49	सुल्तानपुर	49	1	157245	4	8
49	सुल्तानपुर	49	2	2905361	12	24
50	बाहराइच	50	2	2143096	8	16
51	श्रावस्ती	51	2	1143060	8	16
52	बलरामपुर	52	2	1546792	8	16
53	गोंडा	53	1	439336	4	8
53	गोंडा	53	2	2131937	12	24
54	सिद्धार्थ नगर	54	2	1962478	8	16
55	बस्ती	55	2	1969023	8	16

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56	संत कबीर नगर	56	2	1319825	8	16
57	महाराजगंज	57	2	2063333	8	16
58	गोरखपुर	58	1	218386	4	8
58	गोरखपुर	58	2	2812882	12	24
59	कुशीनगर	59	1	236929	4	8
59	कुशीनगर	59	2	2523813	12	24
60	देवरिया	60	1	135541	4	8
60	देवरिया	60	2	2308957	12	24
61	आजमबढ़	61	1	348824	4	8
61	आजमबढ़	61	2	3294105	12	24
62	माऊ	62	2	1493751	8	16
63	बलिया	63	1	97814	4	8
63	बलिया	63	2	2394392	12	24
64	जौनपुर	64	1	345737	4	8
64	जौनपुर	64	2	3276627	12	24
65	गाजीपुर	65	1	148281	4	8
65	गाजीपुर	65	2	2656630	12	24
66	चंदौली	66	2	1469912	8	16
67	वाराणसी	67	2	1878138	8	16
68	संत रविदास नगर भदोही	68	2	1180347	8	16
69	मिर्जापुर	69	2	1829754	8	16
70	सोनभद्र	70	2	1188150	8	16
	कुल			131667847	740	1480
बिहार (10)						
01	पश्चिम चंपारण	01	1	248075	4	4
01	पश्चिम चंपारण	01	2	2485963	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
02	पूर्व चंपारण	02	2	3688726	16	16
03	शिवहर	03	2	494713	8	8
04	सीतामढ़ी	04	2	2529440	12	12
05	मधुबनी	05	2	3450813	16	16
06	सुपौल	06	2	1644395	8	8
07	अररिया	07	1	675590	4	4
07	अररिया	07	2	1350696	8	8
08	किशनगंज	08	2	1167381	8	8
09	पुर्णिया	09	1	556093	4	4
09	पुर्णिया	09	2	1765629	8	8
10	कटिहार	10	1	574003	4	4
10	कटिहार	10	2	1600611	8	8
11	मधैपुरा	11	2	1447445	8	8
12	सहरसा	12	2	1383042	8	8
13	दरभंगा	13	2	3028629	16	16
14	मुजफ्फरपुर	14	1	91344	4	4
14	मुजफ्फरपुर	14	2	3307088	12	12
15	गोलापगंज	15	1	104513	4	4
15	गोलापगंज	15	2	1917687	8	8
16	सीवान	16	2	2564952	12	12
17	सीवान	17	2	2950263	16	16
18	वैशाली	18	2	2531921	12	12
19	समस्तीपुर	19	2	3271464	16	16
20	बेगूसराय	20	2	2242226	12	12
21	खगड़िया	21	2	1204087	8	8
22	भागलपुर	22	1	297440	4	4
22	भागलपुर	22	2	1673890	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	बाँका	23	2	1552782	8	8
24	मुँगेर	24	2	820286	8	8
25	लखीसराय	25	2	684600	8	8
26	शेखपुरा	26	2	444242	8	8
27	नालंदा	27	1	327336	4	4
27	नालंदा	27	2	1689619	8	8
28	पटना	28	1	155064	4	4
28	पटना	28	2	2602131	8	8
29	भोजपुर	29	2	1930948	12	12
30	बक्सर	30	2	1273737	8	8
31	कैमूर (भभुआ)	31	2	1247662	8	8
32	रोहतास	32	1	100046	4	4
32	रोहतास	32	2	2024248	8	8
33	जहानाबाद	33	2	813269	8	8
34	औरंगाबाद	34	2	1843107	8	8
35	गया	35	1	371609	4	4
35	गया	35	2	2626077	12	12
36	नवादा	36	2	1671380	8	8
37	जमुई	37	2	1295744	8	8
38	अरवल	38	2	589496	8	8
	कुल			74311502	416	416
सिक्किम (11)						
01	उत्तर	01	2	39782	8	8
02	पश्चिम	02	2	121432	20	20
03	दक्षिण	03	2	127579	20	20
04	पूर्व	04	2	192190	28	28

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

कुल **480983** **76** **76**

अरुणाचल प्रदेश (12)

01	तवांग	01	2	30557	4	4
02	पश्चिम कर्मेंग	02	2	67913	12	12
03	पूर्व कर्मेंग	03	2	42193	8	8
04	पपुम पारे	04	2	59977	12	12
05	लोअर शुबांशिरी	05	2	43359	8	8
06	अपर शुबांशिरी	06	2	39607	8	8
07	वेस्ट सियांग	07	2	82815	12	12
08	इस्ट सियांग	08	2	65433	12	12
09	अपर सियांग	09	2	33370	4	4
10	दिबंग वैली	10	2	7288	4	4
11	लोहित	11	2	98336	12	12
12	चांगलेंग	12	2	113040	12	12
13	टिरप	13	2	85032	12	12
14	अनजॉव	14	2	18458	4	4
15	कुरुंगकुमेय	15	2	42553	8	8
16	लोअर दिबंग वैली (घाटी)	16	2	40358	8	8
	कुल			870289	140	140

नागालैंड (13)

01	मोन	01	2	74410	8	8
02	तुएंगसांग	02	2	75007	8	8
03	मोकोकुचुंग	03	2	143131	8	8
04	जुनहेबोटो	04	2	55120	8	8
05	वोखा	05	2	48999	8	8
06	दीमापूर	06	2	93870	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
07	कोहिमा	07	2	114584	8	8
08	फेक	08	2	66600	8	8
09	किफिरे	09	2	29660	8	8
10	लॉंगलेंग	10	2	58656	8	8
11	पेरेन	11	2	49917	8	8
	कुल			809954	88	88
मणिपुर (14)						
01	सेनापति (तीन सबडिविजन छोड़कर)	01	1	29316	4	8
01	सेनापति (तीन सबडिविजन छोड़कर)	01	2	127210	12	24
02	तामंगलॉंग	02	2	111499	12	24
03	चुराचंदपुर	03	1	27168	4	8
03	चुराचंदपुर	03	2	200743	20	40
04	विशुपुर	04	2	133628	16	32
05	थाउबल	05	2	232881	24	48
06	इंफाल वेस्ट	06	2	197719	20	40
07	इंफाल इस्ट	07	2	286573	32	64
08	उखरूल	08	2	140778	16	32
09	चंदेल	09	2	103376	12	24
	कुल			1590891	172	344
मिजोरम (15)						
01	मामिल	01	2	52173	8	8
02	कोलासिब	02	2	29471	4	4
03	रैजावल	03	2	77538	16	16
04	छामफाई	04	2	66346	12	12
05	शेरछिप	05	2	27987	4	4
06	लुगलेई	06	2	79298	16	16

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
07	लॉगतलाई	07	2	73627	12	12
08	सैहा	08	2	41237	8	8
	कुल			447677	80	80
त्रिपुरा (16)						
01	वेस्ट त्रिपुरा	01	2	1122915	68	68
02	साउथ त्रिपुरा	02	2	713301	44	44
03	धालाई	03	2	289004	20	20
04	नोर्थ त्रिपुरा	04	2	528245	32	32
	कुल			2653465	164	164
मेघालय (17)						
01	वेस्ट गारो हिल्स	01	1	76150	4	4
01	वेस्ट गारो हिल्स	01	2	383330	20	20
02	ईस्ट गारो हिल्स	02	1	48501	4	4
02	ईस्ट गारो हिल्स	02	2	166199	8	8
03	साउथ गारो हिल्स	03	2	92370	8	8
04	साउथ गारो हिल्स	04	1	30114	4	4
04	वेस्ट खासी हिल्स	04	2	231358	12	12
05	रिभोई	05	1	42107	4	4
05	रिभोई	05	2	137532	8	8
06	ईस्ट खासी हिल्स	06	1	42735	4	4
06	ईस्ट खासी हिल्स	06	2	340483	16	16
07	जयंतिया हिल्स	07	2	274084	16	16
	कुल			1864963	108	108
आसाम (18)						
01	कोकराझार	01	1	105987	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	कोकराझार	01	2	735860	8	8
02	धुबरी	02	1	84652	4	4
02	धुबरी	02	2	1360321	12	12
03	गोलपारा	03	2	755209	12	12
04	बोंगाईगाँव	04	2	372001	8	8
05	बारपेटा	05	2	1520356	20	20
06	कामरूपरुरल	06	2	1402977	16	16
07	नालवारी	07	2	663466	8	8
08	दारांग	08	2	740979	12	12
09	मारीगाँव	09	2	738312	12	12
10	नागाँव	10	1	100893	4	4
10	नागाँव	10	2	1935494	16	16
11	सोनितपुर	11	1	102424	4	4
11	सोनितपुर	11	2	1403381	16	16
12	लखिमपुर	12	1	580749	4	4
12	लखिमपुर	12	2	243139	8	8
13	धेमाजी	13	2	533191	8	8
14	तिनसुकिया	14	1	98658	4	4
14	तिनसुकिया	14	2	827486	8	8
15	डिब्रुगढ़	15	1	93473	4	4
15	डिब्रुगढ़	15	2	863197	8	8
16	सिबसागर	16	2	954569	12	12
17	जोरहाट	17	1	136184	4	4
17	जोरहाट	17	2	691783	8	8
18	गोलाघाट	18	1	90640	4	4
18	गोलाघाट	18	2	774524	8	8
19	कारबी अंगलॉग	19	1	131490	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	कारबी अंगलॉग	19	2	590189	8	8
20	नोर्थ कछार हिल्स	20	2	128684	8	8
21	कछार	21	2	1243561	16	16
22	करीमगंज	22	2	934151	12	12
23	हैलाकांडी	23	2	498791	8	8
24	चिराग	24	2	423088	8	8
25	बाकसा	25	2	457901	8	8
26	कामरूप मेट्रो	26	2	211181	8	8
27	उदालगुरी	27	2	688535	12	12
	कुल			23217476	328	328
पंश्चिम बंगाल (19)						
01	दार्जिलिंग	01	2	1088808	8	8
02	जालपायगुरी	02	2	2794305	24	24
03	कोच बिहार	03	2	2253601	16	16
04	उत्तर दिनाजपुर	04	1	567479	4	4
04	उत्तर दिनाजपुर	04	2	1579899	12	12
05	दक्षिण दिनाजपुर	05	1	161667	4	4
05	दक्षिण दिनाजपुर	05	2	1144716	8	8
06	मालदह	06	1	951924	4	4
06	मालदह	06	2	2097761	20	20
07	मुर्शिदाबाद	07	1	617458	4	4
07	मुर्शिदाबाद	07	2	4516662	32	32
08	वीरभूम	08	1	295678	4	4
08	वीरभूम	08	2	2461542	16	16
09	बर्द्धमान	09	1	357596	4	4
09	बर्द्धमान	09	2	3990961	32	32

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	नादिया	10	2	3625404	28	28
11	उत्तर चौबीस परगणा	11	2	4083349	32	32
12	हुगली	12	1	140725	4	4
12	हुगली	12	2	3213531	24	24
13	बाँकुरा	13	1	609937	4	4
13	बाँकुरा	13	2	2347763	20	20
14	पुरलिया	14	1	502576	4	4
14	पुरलिया	14	2	1778729	16	16
15	पश्चिम मिदनापुर	15	2	4576772	36	36
16	हावड़ा	16	2	2121116	16	16
18	दक्षिण चौबीस परगणा	18	2	5820522	40	40
19	पूर्व मिदनापुर	19	2	4051303	32	32
	कुल			57751784	448	448
झारखंड						
01	गढ़वा	01	2	992873	12	12
02	पलामु	02	1	97309	4	4
02	पलामु	02	2	1341548	8	8
03	चतरा	03	2	749535	8	8
04	हजारीबाग	04	1	124113	4	4
04	हजारीबाग	04	2	1624452	8	8
05	कोडरमा	05	2	412777	8	8
06	गिरिडीह	06	1	81707	4	4
06	गिरिडीह	06	2	1700583	8	8
07	देवघर	07	1	96650	4	4
07	देवघर	07	2	909239	8	8
08	गोड्डा	08	1	87464	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
08	गोड्डा	08	2	924138	8	8
09	साहिबगंज	09	2	830151	8	8
10	पाकुर	10	2	665757	8	8
11	दुमका	11	1	188819	4	4
11	दुमका	11	2	858846	8	8
12	धनबाद	12	2	1141836	12	12
13	बोकारो	13	2	973030	12	12
14	राँची	14	1	287395	4	4
14	राँची	14	2	1519872	8	8
15	लोहरदग्गा	15	2	318326	8	8
16	गुमला	16	2	885607	8	8
17	पश्चिम सिंहभूम	17	1	291246	4	4
17	पश्चिम सिंहभूम	17	2	751655	8	8
18	पूर्वी सिंहभूम	18	2	891924	8	8
19	लातेहार	19	2	534620	8	8
20	सिमडेगा	20	2	387423	8	8
21	जामतारा	21	2	597378	8	8
22	सेरायखेला-खरसावाँ	22	2	689076	8	8
	कुल			20955349	220	220
ओडिसा (21)						
01	बारगढ़	01	1	92196	4	4
01	बारगढ़	01	2	1150626	12	12
02	झारसुगुडा	02	2	323833	8	8
03	संभलपुर	03	2	681919	8	8
04	देवगढ़	04	2	254176	8	8
05	सुन्दरगढ़	05	1	194111	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
05	सुन्दरगढ़	05	2	1007409	12	12
06	केन्दुझार	06	1	101183	4	4
06	केन्दुझार	06	2	1247837	12	12
07	मयूरभंज	07	1	353858	4	4
07	मयूरभंज	07	2	1714100	12	12
08	बालेश्वर	08	2	1804505	16	16
09	भद्रक	09	2	1192746	16	16
10	केन्द्रापारा	10	2	1228001	16	16
11	जगतसिंहपुर	11	2	953241	12	12
12	कटक	12	2	1700058	16	16
13	जाजपुर	13	2	1551564	16	16
14	धेनकनाल	14	2	974103	12	12
15	अनुगुल	15	1	101884	4	4
15	अनुगुल	15	2	879952	8	8
16	नयागढ़	16	1	32363	4	4
16	नयागढ़	16	2	795251	8	8
17	खोरधा	17	2	1071882	12	12
18	पुरी	18	2	1298778	16	16
19	गंजम	19	1	326932	4	4
19	गंजम	19	2	2277744	16	16
20	गजपति	20	2	466056	8	8
21	कंधमाल	21	2	604274	8	8
22	बाउध	22	2	355418	8	8
23	सोनापुर	23	2	501897	8	8
24	बलानगिर	24	1	179065	4	4
24	बलानगिर	24	2	1003836	8	8
25	नौउपदा	25	2	500667	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	कालानहांडी	26	1	369692	4	4
26	कालानहांडी	26	2	865720	12	12
27	रायगढ़	27	2	715902	8	8
28	नवरंगपुर	28	1	448413	4	4
28	नवरंगपुर	28	2	518108	8	8
29	कोरापुत	29	1	337690	4	4
29	कोरापुत	29	2	644604	8	8
30	मलकानगिरि	30	2	469648	8	8
	कुल			31291242	372	372
छत्तीसगढ़ (22)						
01	कोरिया	01	2	411547	8	8
02	सुरगुजा	02	1	443321	4	4
02	सुरगुजा	02	2	1391597	16	16
03	जसपुर	03	2	708966	8	8
04	रायगढ़	04	1	65186	4	4
04	रायगढ़	04	2	1030931	8	8
05	कोरबा	05	2	644869	8	8
06	जंजगिर	06	2	1172123	12	12
07	बिलासपुर	07	2	1511694	16	16
08	कावरधा	08	2	539713	8	8
09	राजनंदगाँव	09	1	56760	4	4
09	राजनंदगाँव	09	2	994871	8	8
10	दुर्ग	10	2	1738141	20	20
11	रायपुर	11	1	53977	4	4
11	रायपुर	11	2	2045402	16	16
12	महासमुन्द	12	2	762613	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	धामतारी	13	2	613037	8	8
14	कांकर	14	2	619554	8	8
15	बस्तर	15	1	382920	4	4
15	बस्तर	15	2	793781	8	8
16	दाँतेवाड़ा	16	2	667617	8	8
	कुल			16648620	188	188
मध्यप्रदेश (23)						
01	शेयोपुर	01	2	471004	4	4
02	मोरेना	02	2	1249441	8	8
03	बिंद	03	2	1089672	8	8
04	ग्वालियर	04	2	649141	4	4
05	दातिया	05	2	490742	4	4
06	शिवपुरी	06	2	1202386	8	8
07	गुना	07	2	738985	8	8
08	टिकमगढ़	08	2	990363	8	8
09	छत्तरपुर	09	2	1150536	8	8
10	पाना	10	2	748434	8	8
11	सागर	11	2	1431255	8	8
12	दामोह	12	2	879636	8	8
13	सतना	13	2	1484786	8	8
14	रेवा	14	2	1653053	8	8
15	उमरिया	15	2	432901	4	4
16	शाहदोल	16	2	705394	4	4
17	सिद्धि	17	2	1570175	8	8
18	नीमच	18	2	523232	4	4
19	मंदसौर	19	2	963057	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	रतलाम	20	2	846978	8	8
21	उज्जैन	21	2	1048206	8	8
22	शाजपुर	22	2	1051504	8	8
23	देवास	23	2	949940	8	8
24	झुबुआ	24	2	1273570	8	8
25	धार	25	2	1452224	8	8
26	इंदौर	26	2	735479	8	8
27	पश्चिम निमार	27	2	1294342	8	8
28	बारवानी	28	2	923501	8	8
29	पूर्व निमार	29	2	861856	8	8
30	राजगढ़	30	2	1036815	8	8
31	विदिसा	31	2	954573	8	8
32	भोपाल	32	2	360818	4	4
33	शेहोर	33	2	885229	8	8
34	रायसेन	34	2	918430	8	8
35	बेतुल	35	2	1136120	8	8
36	हारदा	36	2	373303	4	4
37	होसंगाबाद	37	2	749918	8	8
38	कटनी	38	2	838963	8	8
39	जबलपुर	39	2	923918	8	8
40	नरसिम्हापुर	40	2	804563	8	8
41	दिंदोरी	41	2	553882	4	4
42	मांडला	42	2	802340	8	8
43	छिंदवारा	43	1	167423	4	4
43	छिंदवारा	43	2	1229726	8	8
44	शेओनी	44	2	1045935	8	8
45	बालाघाट	45	1	75490	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45	बालाघाट	45	2	1228611	8	8
46	अशोकनगर	46	2	573126	4	4
47	अनुपुर	47	2	471813	4	4
48	बुरहानपुर	48	2	391365	4	4
	कुल			44384154	344	344
गुजरात (24)						
01	कच्छ	01	2	1108397	8	8
02	बनास कंथा	02	1	403402	4	4
02	बनास कंथा	02	2	1825346	8	4
03	पाटन	03	2	944281	8	4
04	महेसाना	04	2	1426185	8	8
05	साबर कंथा	05	1	122017	4	4
05	साबर कंथा	05	2	1735402	8	4
06	गांधीनगर	06	2	867195	8	4
07	अहमदाबाद	07	2	1152987	8	8
08	सुरेन्द्रनगर	08	2	1112704	8	8
09	राजकोट	09	2	1544021	8	8
10	जामनगर	10	2	1068080	8	4
11	पोरबंदर	11	2	275460	4	4
12	जूनागढ़	12	2	1736760	12	8
13	अमरेली	13	2	1080962	8	4
14	भावनगर	14	2	1534600	8	8
15	आनन्द	15	2	1348901	8	8
16	खेडा	16	2	1617769	8	8
17	पंच महल	17	1	180070	4	4
17	पंच महल	17	2	1591859	8	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	दोहाद	18	2	1480110	8	8
19	बदोदरा	19	1	341072	4	4
19	बदोदरा	19	2	1654513	8	4
20	नर्मदा	20	2	462358	8	4
21	भारूच	21	2	1018102	8	4
22	सूरत	22	1	191886	4	4
22	सूरत	22	2	1807568	8	4
23	द डांग	23	2	186729	4	4
24	नवसारी	24	2	893110	8	4
25	वलसाद	25	2	1029394	8	4
	कुल			31741240	216	160
दामन एवं दिउ (25)						
02	सभी जिला		2	100856	8	8
	कुल			100856	8	8
दादर नगर हवेली (26)						
01	दादर नगर हवेली	01	2	170027	12	0
	कुल			170027	12	0
महाराष्ट्र (27)						
01	नन्दुरवार	01	1	356675	4	4
01	नन्दुरवार	01	2	752373	8	8
02	धुले	02	1	211855	4	4
02	धुले	02	2	1050210	8	8
03	जलगाँव	03	1	174997	4	4
03	जलगाँव	03	2	2454927	20	20
04	बुलदाना	04	1	167127	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04	बुलदाना	04	2	1592106	12	12
05	अकोला	05	2	1002866	8	8
06	वासिम	06	2	841858	8	8
07	अमरावति	07	1	175298	4	4
07	अमरावति	07	2	1532606	12	12
08	वारधा	08	2	912073	8	8
09	नागपुर	09	1	147536	4	4
09	नागपुर	09	2	1306591	8	8
10	भंडारा	10	2	960510	8	8
11	गोदिया	11	2	1057333	12	12
12	गदचिरोली	12	2	903191	8	8
13	चन्दरपुर	13	1	64886	4	4
13	चन्दरपुर	13	2	1341467	8	8
14	यवातमाल	14	1	145020	4	4
14	यवातमाल	14	2	1856314	16	16
15	नान्देर	15	1	290842	4	4
15	नान्देर	15	2	1896416	16	16
16	हिंगोली	16	2	833168	8	8
17	पारभानी	17	2	1042540	8	8
18	जालना	18	1	111030	4	4
18	जालना	18	2	1194093	8	8
19	औरंगाबाद	19	1	197449	4	4
19	औरंगाबाद	19	2	1612458	12	12
20	नासिक	20	1	558758	4	4
20	नासिक	20	2	2497488	20	20
21	थाने	21	1	285129	4	4
21	थाने	21	2	1944268	16	16

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	रायगढ़	24	1	86342	4	4
24	रायगढ़	24	2	1586812	12	12
25	पुने	25	1	206778	4	4
25	पुने	25	2	2824962	20	20
26	अहमदनगर	26	1	211653	4	4
26	अहमदनगर	26	2	3025301	20	20
27	बिद	27	1	130493	4	4
27	बिद	27	2	1643698	12	12
28	लातूर	28	2	1590047	16	16
29	ओसमानबाद	29	2	1253335	12	12
30	सोलापुर	30	1	415402	4	4
30	सोलापुर	30	2	2208869	20	20
31	सतारा	31	1	232154	4	4
31	सतारा	31	2	2178742	16	16
32	रतनगिरि	32	1	147318	4	4
32	रतनगिरि	32	2	1357254	12	12
33	सिंधुदुर्ग	33	2	786506	8	8
34	कोल्हापुर	34	1	382450	4	4
34	कोल्हापुर	34	2	2090380	20	20
35	सांगली	35	1	414516	4	4
35	सांगली	35	2	1535793	16	16
	कुल			55780263	504	504
आंध्र प्रदेश (28)						
01	आदिलाबाद	01	1	159030	4	4
01	आदिलाबाद	01	2	1669099	12	12
02	निजामाबाद	02	2	1921011	16	16

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
03	करीमनगर	03	2	2813055	24	24
04	मेडक	04	1	141770	4	4
04	मेडक	04	2	2144832	16	16
06	रंगारेड्डी	06	2	1637290	16	16
07	महबूबनगर	07	1	1047432	4	4
07	महबूबनगर	07	2	2093395	24	24
08	नालगोंडा	08	1	201399	4	4
08	नालगोंडा	08	2	2613929	20	20
09	वारंगल	09	2	2622879	24	24
10	खामम	10	1	250676	4	4
10	खामम	10	2	1817518	16	16
11	श्रीकाकुलम	11	1	102627	4	4
11	श्रीकाकुलम	11	2	2156406	16	16
12	विजयनगरम	12	1	387089	4	4
12	विजयनगरम	12	2	1449839	12	12
13	विसाखापत्तनम	13	1	200262	4	4
13	विसाखापत्तनम	13	2	2101361	16	16
14	पूर्व गोदावरी	14	1	31485	4	4
14	पूर्व गोदावरी	14	2	3718106	24	24
15	पश्चिम गोदावरी	15	2	3052668	28	28
16	कृष्णा	16	2	2844432	24	24
17	गुंटूर	17	1	435158	4	4
17	गुंटूर	17	2	2744249	24	24
18	प्रकासम	18	1	189976	4	4
18	प्रकासम	18	2	2402170	20	20
19	नैलौर	19	2	2069603	20	20
20	कुड्डापह	20	2	2014122	20	20

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	फुरनूल	21	1	976647	4	4
21	फुरनूल	21	2	1735412	20	20
22	अनन्तपुर	22	2	2720942	24	24
23	चित्तूर	23	1	109804	4	4
23	चित्तूर	23	2	2825079	24	24
	कुल			55400752	492	492
कर्नाटक (29)						
01	बेलगाम	01	1	198254	4	4
01	बेलगाम	01	2	3003575	8	8
02	बागलकोट	02	2	1173376	8	8
03	बीजापुर	03	2	1410846	12	12
04	गुलबर्ग	04	1	592874	4	4
04	गुलबर्ग	04	2	1685504	8	8
05	बीदर	05	2	1157520	8	8
06	रायचूर	06	2	1248978	8	8
07	कोपाल	07	2	997832	8	8
08	गादग	08	2	629660	8	8
09	धारवाड़	09	2	722354	8	8
10	उत्तर कन्नदा	10	2	965774	8	8
11	हावेरी	11	2	1140103	8	8
12	वेल्लारी	12	1	440931	4	4
12	वेल्लारी	12	2	879389	8	8
13	चित्रदुर्ग	13	2	1243771	8	8
14	दावनागेरे	14	2	1248067	8	8
15	सिमोगा	15	2	1071622	8	8
16	उदुपी	16	2	905890	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	चिंकमगलूर	17	2	918264	8	8
18	तामकुर	18	1	100594	4	4
18	तामकुर	18	2	1977049	8	8
19	कोलार	19	1	164278	4	4
19	कोलार	19	2	1746660	8	8
20	बंगलोर	20	2	777168	8	8
21	बंगलोर रूरल	21	2	1474272	12	12
22	मांडया	22	2	1489593	12	12
23	हासन	23	1	97308	4	4
23	हासन	23	2	1319853	8	8
24	दक्षिण कन्नदा	24	2	1168428	8	8
25	कोडागु	25	2	480451	8	8
26	मैसूर	26	2	1659023	12	12
27	कामराजनगर	27	2	817457	8	8
	कुल			34906718	256	256
	गोवा (30)					
01	उत्तर गोवा	01	2	416828	12	12
02	दक्षिण गोवा	02	2	260275	8	8
	कुल			677103	20	20
	लक्षद्वीप (31)					
01	लक्षद्वीप	01	2	33699	8	0
	कुल			33699	8	0
	केरल (32)					
01	कसारागोद	01	2	961380	16	24
02	कान्नुुर	02	2	1217185	16	24

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रककलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम				केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
03	वायानाड	03	2	751007	12	20
04	कोझीकोदे	04	2	1810831	24	36
05	माल्लापुरम	05	2	3254228	36	52
06	पालाक्काद	06	2	2250736	32	48
07	त्रिसूर	07	2	2111526	32	48
08	एर्नाकुलम	08	2	1636648	24	36
09	इदुक्की	09	2	1069069	16	24
10	कोट्टायम	10	2	1652870	24	36
11	अल्लपुझा	11	2	1492820	20	28
12	पथथानमथिट्टा	12	2	1110362	16	24
13	कोल्लाम	13	2	2120557	28	44
14	तिरुअनन्तपुरम	14	2	2142879	32	48
	कुल			23582098	328	492
तमिलनाडु (33)						
01	तिरुवल्लुर	01	2	1254702	16	16
03	कांचीपुरम	03	1	116585	4	4
03	कांचीपुरम	03	2	1225973	12	12
04	वेल्लौर	04	2	2169413	20	20
05	धर्मापुरी	05	2	1100659	12	12
06	तिरुवलामलई	06	1	193398	4	4
06	तिरुवलामलई	06	2	1592022	16	16
07	विलुपुरम	07	1	419599	4	4
07	विलुपुरम	07	2	2113916	16	16
08	सलेम	08	1	247866	4	4
08	सलेम	08	2	1378358	16	16
09	नामाक्कल	09	1	266497	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
09	नामाक्कल	09	2	681754	8	8
10	इरोड	10	1	316286	4	4
10	इरोड	10	2	1071273	12	12
11	नीलगिरिस	11	2	307532	8	8
12	कोयमबतूर	12	2	1451667	16	16
13	दिंदीगुल	13	2	1249795	16	16
14	कारूर	14	2	624431	8	8
15	त्रिचरापल्ली	15	2	1279244	16	16
16	पेरामबतूर	16	2	414440	8	8
17	अरियालूर	17	2	616563	8	8
18	कुड्डालोर	18	2	1531061	20	20
19	नागपत्तनम	19	2	1158562	12	12
20	तिरुवरूप	20	2	932239	12	12
21	तंजावुर	21	2	1467613	16	16
22	पुदुकोट्टायी	22	2	1211236	16	16
23	शिवगंगा	23	2	829280	12	12
24	मदुराई	24	1	197643	4	4
24	मदुराई	24	2	936417	8	8
25	थेनी	25	2	502126	8	8
26	विरूद्धुनगर	26	1	283005	4	4
26	विरूद्धुनगर	26	2	691047	8	8
27	रामनाथपुरम	27	2	885218	12	12
28	थुत्तुकुडी	28	2	907510	12	12
29	तिरुनेलवेली	29	2	1415775	16	16
30	कन्याकुमारी	30	2	582114	8	8
31	कृष्णागिरि	31	1	310324	4	4
31	कृष्णागिरि	31	2	989455	12	12

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

टेबुल 2 : उप-स्तर आकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन						
जिला		स्तर	उप- स्तर	आकार (जेडएसटी)	आवंटन	
					केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
संकेतांक	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कुल				34922598	416	416
पॉडिचेरी (34)						
02	पॉडिचेरी	02	2	229373	12	12
04	कराईकाल	04	2	96353	4	4
कुल				325726	16	16
आण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह(35)						
01	आण्डमान	01	2	92074	12	0
02	निकोबार	02	2	40168	8	0
03	आण्डमान	03	2	104742	16	0
कुल				236984	36	0
अखिल भारत - कुल -				741759617	7524	8736

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार (एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जम्मू एवं काश्मीर (01)					
01	कूपवाडा	01	18	4	8
02	बारामूला	02	176	16	32
03	श्रीनगर	03	667	52	100
04	बदगाम	04	69	4	8
05	पुलवामा	05	100	4	8
06	अनन्तनाग	06	208	16	32
07	लेह (लद्दाख)	07	1	4	4
08	कारगिल	08	1	4	4
09	डोडा	09	70	4	8
10	उधमपुर	10	175	8	16
11	पूँछ	11	33	4	8
12	रजौरी	12	58	4	8
13	जम्मू	13	1106	52	100
14	काथुस	14	136	4	8
	कुल		2818	180	344
हिमाचल प्रदेश (02)					
01	चाम्बा	01	58	4	4
02	कांगरा	02	120	4	4
04	कुल्लु	04	50	4	4
05	मानदी	05	91	4	4
06	हमीरपुर	06	47	4	4
07	उना	07	63	4	4
08	बिलासपुर	08	38	4	4
09	सोलन	09	135	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	सिरमौर	10	79	4	4
11	शिमला	11	157	8	8
	कुल		838	48	48
पंजाब (03)					
01	गुरदासपुर	01	849	12	12
02	अमितसर	02	1959	24	24
03	कपुरथला	03	421	8	8
04	जालंधर	04	1863	20	20
05	होशियारपुर	05	436	8	8
06	नवानशहर	06	152	4	4
07	रूपनगर (रोपर)	07	244	4	4
08	फतेहगढ़ साहिब	08	228	4	4
09	लुधियाना	09	497	8	8
09	लुधियाना	19	1863	24	24
10	मोगा	10	260	8	8
11	फिरोजपुर	11	746	12	12
12	मुक्तसर	12	296	8	8
13	फरीदकोट	13	297	8	8
14	भटिंडा	14	631	8	8
15	मानसा	15	219	4	4
16	संगरूर	16	900	12	12
17	पटियाला	17	875	12	12
18	एस.ए.एस. नगर (मोहाला)	18	408	8	8
	कुल		13144	196	196

चंडीगढ़ (04)

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	चंडीगढ़	01	1517	36	0
	कुल		1517	36	0
उत्तरांचल (05)					
01	उत्तरकाशी	01	35	4	4
02	चमोली	02	76	4	4
03	रूद्रप्रयाग	03	24	4	4
04	टेहरी गढ़वाल	04	124	4	4
05	देहरादून	05	1038	12	12
06	पाउरी गढ़वाल	06	127	8	8
07	पिथौरागढ़	07	90	4	4
08	बागेश्वर	08	14	4	4
09	अल्मोरा	09	94	4	4
10	चंपाबत	10	68	4	4
11	नैनीताल	11	282	8	8
12	उधमसिंहनगर	12	692	12	12
13	हरद्वार	13	661	12	12
14	नैनीताल (एच)	14	91	4	4
15	देहरादून (एच)	15	5	4	4
	कुल		3421	92	92
हरियाणा (06)					
01	पंचकुला	01	401	4	4
02	अम्बाला	02	569	8	8
03	यमुनानगर	03	570	12	12
04	कुरुक्षेत्र	04	311	4	4
05	कैथल	05	285	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06	करनाल	06	463	8	8
07	पानीपत	07	828	8	8
08	सोनीपत	08	499	8	8
09	जिंद	09	390	8	8
10	फतेहगढ़	10	222	4	4
11	सिरसा	11	436	8	8
12	हिसार	12	527	12	12
13	भिवानी	13	404	8	8
14	रोहतक	14	543	8	8
15	झाज्जर	15	388	4	4
16	महेन्द्रगढ़	16	181	4	4
17	रेवारी	17	238	4	4
18	गुरगाँव	18	827	8	8
19	फरीदाबाद	19	248	4	4
19	फरीदाबाद	21	1972	16	16
20	मेवात	20	104	4	4
	कुल		10406	148	148
दिल्ली (07)					
—	दिल्ली नगर निगम	10	14650	92	184
—	सभी अन्य शहर	99	6619	28	56
	कुल		21269	120	240
राजस्थान (08)					
01	गंगानगर	01	735	8	8
02	हनुमानगढ़	02	454	4	4
03	बिकानेर	03	843	8	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04	चुरू	04	822	8	8
05	झुनजुना	05	589	4	4
06	मालवर	06	587	4	4
07	भरतपुर	07	610	4	4
08	धोलपुर	08	225	4	4
09	कारैली	09	266	4	4
10	सवाई माधोपुर	10	338	4	4
11	दौंडसा	11	246	4	4
12	जयपुर	12	461	4	4
12	जयपुर	33	3531	32	32
13	सीकर	13	757	8	8
14	नागौर	14	849	8	8
15	जोधपुर	15	1650	8	8
16	जैसलमेर	16	112	4	4
17	बारमेर	17	229	4	4
18	जालौर	18	181	4	4
19	सिरोही	19	240	4	4
20	पाली	20	700	4	4
21	अजमेर	21	1530	8	8
22	टोंक	22	359	4	4
23	बुन्दी	23	299	4	4
24	भिलवाड़ा	24	670	4	4
25	राजसामन्द	25	204	4	4
26	उदयपुर	26	948	8	8
27	डुंगरपुर	27	144	4	4
28	बाँसवारा	28	212	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	चित्तोरगढ़	29	516	4	4
30	कोटा	30	1184	8	8
31	बारून्	31	291	4	4
32	झालवार	32	306	4	4
	कुल		21088	196	196

उत्तर प्रदेश (09)

01	सहारनपुर	01	1227	8	16
02	मुजफ्फरनगर	02	1423	8	16
03	बिजनौर	03	1189	8	16
04	मोरादाबाद	04	1739	8	16
05	रामपुर	05	762	4	8
06	एम.जे. फुलेनगर	06	573	4	8
07	मेरठ	07	686	4	8
07	मेरठ	71	1742	8	16
08	बागपत	08	415	4	8
09	गाजियाबाद	09	4713	12	24
10	जी.बुद्धनगर	10	1428	4	8
11	बुलंदशहर	11	1101	8	16
12	अलीगढ़	12	1435	8	16
13	हाथरस	13	439	4	8
14	मथुरा	14	885	8	16
15	आगरा	15	504	4	8
15	आगरा	72	2118	8	16
16	फिरोजाबाद	16	1029	8	16
17	ईटा	17	778	4	8
18	मैनपुरी	18	351	4	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	बदाँ	19	849	8	16
20	बरैली	20	1945	8	16
21	पीलीभीत	21	470	4	8
22	शहजहाँपुर	22	797	4	8
23	खेरी	23	469	4	8
24	सीतापुर	24	589	4	8
25	हारदोई	25	576	4	8
26	उन्नाव	26	688	4	8
27	लखनऊ	27	282	4	8
27	लखनऊ	73	3821	12	24
28	राय बरेली	28	430	4	8
29	फरुखाबाद	29	527	4	8
30	कन्नौज	30	360	4	8
31	ईटावा	31	497	4	8
32	औरैया	32	264	4	8
33	कानपुर देहात	33	162	4	8
34	कानपुर नगर	34	399	4	8
34	कानपुर नगर	74	4161	12	24
35	जालौन	35	565	4	8
36	झाँसी	36	1364	8	16
37	ललितपुर	37	234	4	8
38	हमीरपुर	38	275	4	8
39	महोबा	39	245	4	8
40	बानडा	40	373	4	8
41	चित्रकूट	41	123	4	8
42	फतेपुर	42	417	4	8

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार (एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	प्रतापगढ़	43	262	4	8
44	कौशुम्बी	44	153	4	8
45	एलाहाबाद	45	1934	8	16
46	बाराबंकी	46	436	4	8
47	फैजाबाद	47	439	4	8
48	अम्बेदकर नगर	48	304	4	8
49	सुल्तानपुर	49	252	4	8
50	बाहराईच	50	400	4	8
51	श्रावस्ति	51	54	4	8
52	बलरामपुर	52	201	4	8
53	गोंडा	53	260	4	8
54	सिद्धार्थनगर	54	118	4	8
55	बस्ती	55	180	4	8
56	एस. कबीर नगर	56	158	4	8
57	महाराजगंज	57	185	4	8
58	गोरखपुर	58	1109	8	16
59	कुशीनगर	59	208	4	8
60	देवरिया	60	400	4	8
61	आजमगढ़	61	458	4	8
62	मौठ	62	631	4	8
63	बलिया	63	397	4	8
64	जौनपुर	64	430	4	8
65	गाजीपुर	65	386	4	8
66	चाउन्दली	66	263	4	8
67	वाराणसी	67	277	4	8
67	वाराणसी	75	1699	8	16

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68	एस. रविदास नगर	68	307	4	8
69	मिर्जापुर	69	514	4	8
70	सोनबद्र	70	485	4	8
	कुल		58319	388	776

बिहार (10)

01	पश्चिम चंपारण	01	378	4	4
02	पूर्वी चंपारण	02	336	4	4
03	शिवहर	03	30	4	4
04	सीतामढी	04	193	4	4
05	मधुबनी	05	161	4	4
06	सुपौल	06	154	4	4
07	अररिया	07	202	4	4
08	किशनगंज	08	177	4	4
09	पुर्णिया	09	253	4	4
10	कटिहार	10	234	4	4
11	मधैपुरा	11	78	4	4
12	सहरसा	12	244	4	4
13	दरभंगा	13	369	4	4
14	मुजफ्फरपुर	14	395	4	4
15	गोपालगंज	15	179	4	4
16	सीवान	16	200	4	4
17	सारन	17	316	4	4
18	वैशाली	18	234	4	4
19	समस्तीपुर	19	159	4	4
20	बेगूसराय	20	120	4	4
21	खगडिया	21	114	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	भागलपुर	22	537	4	4
23	बांका	23	95	4	4
24	मूँगेर	24	454	4	4
25	लखिसराय	25	181	4	4
26	शेखपुरा	26	115	4	4
27	नालंदा	27	607	4	4
28	पटना	28	723	4	4
28	पटना	39	2017	12	12
29	भोजपुर	29	390	4	4
30	बक्सर	30	181	4	4
31	कैमूर (भबुआ)	31	65	4	4
32	रोहतास	32	464	4	4
33	जहानाबाद	33	135	4	4
34	औरंगाबाद	34	225	4	4
35	गया	35	628	4	4
36	नवादा	36	191	4	4
37	जमुई	37	154	4	4
	कुल		11688	160	160
सिक्किम (11)					
01	उत्तर (मोंगाम)	01	3	4	4
02	पश्चिम (ग्यालसिंग)	02	4	4	4
03	दक्षिण (निमाचाइ)	03	10	4	4
04	पूर्व (गंगटोक)	04	98	8	8
	कुल		115	20	20
अरूणाचल प्रदेश (12)					

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	तवांग	01	11	4	4
02	पश्चिम कामेंग	02	18	4	4
03	पूर्व कामेंग	03	35	4	4
04	पपुमपारे	04	82	20	20
05	लोअर सुबानसिरि	05	16	4	4
06	अपर सुबानसिरि	06	26	4	4
07	पश्चिम सियांग	07	57	8	8
08	पूर्व सियांग	08	27	8	8
11	लोहित	11	50	8	8
12	चांगलॉंग	12	17	4	4
13	तिराप	13	25	4	4
16	लोअर दिबंग घाटी	16	16	4	4
	कुल		380	76	76
नागालैंड (13)					
01	मोन	01	24	4	12
02	तुऐंगसांग	02	26	4	12
03	मुकोकुचुंग	03	57	4	12
04	जुनहेहोतो	04	20	4	12
05	वोखा	05	18	4	12
06	दीमापुर	06	129	8	24
07	कोहिमा	07	102	8	24
08	फैंक	08	22	4	12
	कुल		398	40	120
मणिपुर (14)					
04	बिश्नुपुर	04	125	20	40

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05	चाउबल	05	224	36	72
06	इम्फाल पश्चिम	06	426	80	160
07	इन्फाल पूर्व	07	57	8	16
09	चान्देल	09	17	4	8
	कुल		849	148	296
मीजोरम (15)					
01	मामिल	01	21	4	4
02	कोलासिब	02	46	8	8
03	ऐंजावल	03	269	60	60
04	छिमतुइपी	04	49	12	12
05	सेरछिप	05	38	8	8
06	लुंगलेइ	06	71	16	16
08	सैहा	08	20	4	4
	कुल		514	112	112
त्रिपुरा (16)					
01	पश्चिम त्रिपुरा	01	595	44	44
02	दक्षिण त्रिपुरा	02	68	8	8
03	धालाइ	03	28	8	8
04	उत्तर त्रिपुरा	04	83	8	8
	कुल		774	68	68
मेघालय (17)					
01	पश्चिम गारो हिल्स	01	83	8	8
02	पूर्व गारो हिल्स	02	59	4	4
03	दक्षिण गारो हिल्स	03	20	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04	पश्चिम खासी हिल्स	04	68	4	4
05	रि भोई	05	35	4	4
06	पूर्व खासी हिल्स	06	584	24	24
07	जैनतिया हिल्स	07	43	4	4
	कुल		892	52	52
आसाम (18)					
01	कोकराझार	01	87	4	4
02	धुबरी	02	278	4	4
03	गोलपारा	03	79	4	4
04	बोंगाई गाँव	04	102	4	4
05	बारपेटा	05	185	4	4
06	कामरूप रूरल	06	120	4	4
07	नालबारी	07	49	4	4
08	दारंग	08	47	4	4
09	मोरीगाँव	09	69	4	4
10	नव गाँव	10	441	4	4
11	सोनितपुर	11	182	4	4
12	लखिमपुर	12	71	4	4
13	धेमाजी	13	59	4	4
14	तिनसुकिया	14	389	4	4
15	डिब्रूगढ़	15	299	4	4
16	सिबसागर	16	139	4	4
17	जोरहाट	17	306	4	4
18	गोलाधाट	18	137	4	4
19	करबियागलॉंग	19	123	4	4
20	उत्तर कछारहिल्स	20	78	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	कछार	21	273	4	4
22	करीमगंज	22	91	4	4
23	हैलाकानडी	23	68	4	4
24	चिरांग	24	17	4	4
26	कामरूप मेट्रो	26	950	4	4
27	उदालगिरि	27	43	4	4
	कुल		4682	104	104
पश्चिम बंगाल (19)					
01	दार्जिलिंग	01	869	12	12
02	जलपायगुरी	02	614	8	8
03	कोचबिहार	03	345	8	8
04	उत्तर दिनाज पुर	04	416	8	8
05	दक्षिण दिनाजपुर	05	265	8	8
06	मालदा	06	316	8	8
07	मुर्शिदाबाद	07	1004	12	12
08	वीरभूम	08	364	8	8
09	बर्दवान	09	4189	32	32
10	नादिया	10	1507	16	16
11	24-परगना उत्तर	11	7518	60	60
12	हुगली	12	2574	24	24
13	बाँकुरा	13	374	8	8
14	पुरलिया	14	454	8	8
15	पश्चिम मिदनापुर	15	948	8	8
16	हावड़ा	16	1575	16	16
16	हावड़ा	20	1357	16	16
17	कोलकाता	21	7333	60	60

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	24-परगना दक्षिण	18	1813	16	16
19	पूर्व मिदनापुर	19	550	8	8
	कुल		34385	344	344

झारखंड (20)

01	गढ़वा	01	54	4	4
02	पलामु	02	141	4	4
03	चतरा	03	51	4	4
04	हजारीबाग	04	712	8	8
05	कोडरमा	05	129	4	4
06	गिरिडीह	06	169	4	4
07	देवघर	07	207	4	4
08	गोड्डा	08	61	4	4
09	साहिबगंज	09	132	4	4
10	पाकुर	10	41	4	4
11	दुमका	11	87	4	4
12	धनबाद	12	1838	12	12
13	बोकारो	13	1157	12	12
14	राँची	14	1025	12	12
15	लोहरदगा	15	51	4	4
16	गुमला	16	56	4	4
17	पश्चिम सिंहभूम	17	283	4	4
18	पूर्वी सिंहभूम	18	1348	12	12
19	लातेहार	19	31	4	4
20	सिमडेगा	20	42	4	4
21	जामतारा	21	66	4	4
22	सेरायखेला-खरसावाँ	22	171	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कुल		7852	124	124
	ओडिसा (21)				
01	बारागढ़	01	124	4	4
02	झारसुगुडा	02	253	4	4
03	सम्बलपुर	03	345	4	4
04	देवागढ़	04	24	4	4
05	सुन्दरगढ़	05	921	8	8
06	केओनझार	06	325	4	4
07	मयूरभंज	07	238	4	4
08	बालेश्वर	08	289	4	4
09	भद्रक	09	220	4	4
10	केन्द्रपारा	10	112	4	4
11	जगतसिंहपुर	11	120	4	4
12	कटक	12	914	8	8
13	जाजपुर	13	110	4	4
14	धेनकनाल	14	144	4	4
15	अनुगुल	15	242	4	4
16	नयागढ़	16	56	4	4
17	खोरधा	17	1100	8	8
18	पुरी	18	291	4	4
19	गंजम	19	810	4	4
20	गजपति	20	83	4	4
21	कंधमाल (फूलबानी)	21	62	4	4
22	बौध	22	28	4	4
23	सोनेपुर	23	71	4	4
24	बोलानगिर	24	185	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	नुआपारा	25	41	4	4
26	कालाहांडी	26	167	4	4
27	रायगडा	27	170	4	4
28	नौरंगपुर	28	80	4	4
29	कोरापुत	29	255	4	4
30	मल्कानगिरि	30	45	4	4
	कुल		7825	132	132
छत्तीसगढ़ (22)					
01	कोरिया	01	281	4	4
02	सुरगुजा	02	227	4	4
03	जाशपुर	03	53	4	4
04	रायगढ़	04	258	4	4
05	कोरबा	05	557	8	8
06	जंजगिर	06	248	4	4
07	बिलासपुर	07	686	12	12
08	कावरधा	08	79	4	4
09	राजनंदगाँव	09	375	4	4
10	दुर्ग	10	1843	12	12
11	रायपुर	11	1375	12	12
12	महासमुन्द	12	159	4	4
13	धामतारी	13	143	4	4
14	कांकेर	14	51	4	4
15	बस्तर	15	201	4	4
16	दौंतेवाड़ा	16	84	4	4
	कुल		6620	92	92

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MADHYA PRADESH (23)					
01	शेओपुर	01	142	4	4
02	मोरेना	02	502	4	4
03	भिंद	03	515	4	4
04	ग्वालियर	04	1788	8	8
05	दातिया	05	243	4	4
06	शिवपुरी	06	346	4	4
07	गुना	07	323	4	4
08	टीकमगढ़	08	355	4	4
09	छत्तरपुर	09	620	4	4
10	पन्ना	10	192	4	4
11	सागर	11	1055	8	8
12	दामोस	12	325	4	4
13	सतना	13	608	8	8
14	रेवा	14	554	4	4
15	उमारिया	15	154	4	4
16	शाहदोल	16	306	4	4
17	सिधि	17	455	4	4
18	निमुच	18	329	4	4
19	मंदसौर	19	374	4	4
20	रतलाम	20	631	8	8
21	उज्जैन	21	1071	8	8
22	शाहजापुर	22	417	4	4
23	देवास	23	587	8	8
24	झबुआ	24	190	4	4
25	धार	25	558	4	4
26	इन्दौर	26	273	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	इन्दौर	49	2699	12	12
27	पश्चिम निमार (खारगाँव)	27	286	4	4
28	बारवानी	28	203	4	4
29	पूर्वी निमार (खंडवा)	29	318	4	4
30	राजगढ़	30	326	4	4
31	विदिशा	31	395	4	4
32	भोपाल	32	33	4	4
32	भोपाल	50	2440	12	12
33	सेहोर	33	297	4	4
34	रायसेन	34	303	4	4
35	बेतुल	35	394	4	4
36	हारदा	36	152	4	4
37	होसंगाबाद	37	533	4	4
38	कटनी	38	366	4	4
39	जबलपुर	39	1700	8	8
40	नरसिंम्हापुर	40	261	4	4
41	दिनदोरी	41	46	4	4
42	मान्डला	42	151	4	4
43	छिंदवारा	43	766	8	8
44	शेओनी	44	191	4	4
45	बालाघाट	45	334	4	4
46	अशोकनगर	46	195	4	4
47	अनुपुर	47	386	4	4
48	बुरहामपुर	48	338	4	4
	कुल		26026	248	248

गुजरात (24)

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	कच्छ	01	543	4	4
02	बाँसकन्था	02	423	4	4
03	पाटन	03	392	4	4
04	मेहसाना	04	723	4	4
05	साबरकन्था	05	314	4	4
06	गाँधीनगर	06	774	4	4
07	अहमदाबाद	07	1751	12	8
07	अहमदाबाद	26	5485	28	16
08	सुरेन्द्रनगर	08	595	4	4
09	राजकोट	09	2366	20	12
10	जामनगर	10	1039	12	8
11	पोरबन्दर	11	446	4	4
12	जूनागढ	12	1186	8	4
13	अमरेली	13	423	4	4
14	भावनगर	14	1516	12	8
15	आनन्द	15	702	8	4
16	खेडा	16	619	4	4
17	पंच महल	17	357	4	4
18	दोहाद	18	230	4	4
19	बदोदरा	19	332	4	4
19	वदोदरा	27	2101	16	12
20	नर्मदा	20	85	4	4
21	भारूच	21	550	4	4
22	सूरत	22	470	4	4
22	सूरत	28	3475	28	16
24	नवासरी	24	563	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	वालसाद	25	618	4	4
	कुल		28078	216	160
दामन और दिऊ (25)					
02	सभी जिला	99	119	8	8
	कुल		119	8	8
दादर एवं नगर हवेली (26)					
01	दादर एवं नगर हवेली	01	95	12	0
	कुल		95	12	0
महाराष्ट्र (27)					
01	नंदुरबार	01	306	4	8
02	धुले	02	751	8	12
03	जलगाँव	03	1679	12	20
04	बुलदाना	04	745	8	12
05	अकोला	05	979	8	12
06	वाशिम	06	272	4	8
07	अमरावति	07	1447	12	20
08	वार्धा	08	499	8	12
09	नागपुर	09	868	8	12
09	नागपुर	36	3133	24	36
10	भंडारा	10	278	4	8
11	गोदिया	11	219	4	8
12	गदचिरोली	12	114	4	8
13	चन्द्रापुर	13	1154	8	12
14	यावतमल	14	686	8	12

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	नान्देर	15	1024	8	12
16	हिंगोली	16	250	4	8
17	परभानी	17	749	8	12
18	जालना	18	429	8	12
19	औरंगाबाद	19	1504	12	20
20	नाशिक	20	1390	12	20
20	नाशिक	37	1457	12	20
21	थाने	21	6410	40	60
21	थाने	38	2027	16	24
21	थाने	39	1641	16	24
22	मुम्बई सबअरबन	40	18369	100	116
24	रायगढ (कुलाबा)	24	891	8	12
25	पुणे	25	993	8	12
25	पुणे	41	1906	12	20
25	पुणे	42	4089	32	48
26	अहमदनगर	26	1122	12	20
27	बिद	27	599	8	12
28	लातूर	28	726	8	12
29	ओसमानाबाद	29	335	4	8
30	सोलापुर	30	1675	16	24
31	सतारा	31	574	8	12
32	रत्नागिरि	32	270	4	8
33	सिंधुदुर्ग	33	129	4	8
34	कोल्हापुर	34	1512	12	20
35	सांगली	35	863	8	12
	कुल		64064	504	756

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंध्र प्रदेश (28)					
01	अदीलाबाद	01	895	12	12
02	निजामाबाद	02	577	8	8
03	करीमनगर	03	931	12	12
04	मेडक	04	514	8	8
05	हैदराबाद	05	272	8	8
05	हैदराबाद	24	4481	56	56
06	रंगारेड्डी	06	3161	36	36
07	महबूबनगर	07	481	8	8
08	नालगोंडा	08	621	8	8
09	वारंगल	09	941	12	12
10	खाम्मल	10	859	8	8
11	श्रीकाकुलम	11	391	8	8
12	विजियानगरम	12	662	8	8
13	विशाखापत्तनम	13	2499	28	28
14	पूर्व गोदावरी	14	1780	20	20
15	पश्चिम गोदावरी	15	1135	12	12
16	कृष्ण	16	2243	20	20
17	गुंतुर	17	1818	20	20
18	प्रकासम	18	701	8	8
19	नैलौर	19	918	12	12
20	कुडापाह	20	821	12	12
21	कुरनूल	21	1175	16	16
22	अनन्तपुर	22	1437	16	16
23	चित्रूर	23	1009	16	16
	कुल		30322	372	372

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रक्कलन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कर्नाटक (29)

01	बेलगाम	01	1441	12	12
02	बागालकोटे	02	757	8	8
03	बीजापुर	03	533	8	8
04	गुलबर्ग	04	1124	12	12
05	बीदर	05	425	8	8
06	रायचुर	06	556	8	8
07	कोप्पाल	07	274	4	4
08	गादाग	08	538	8	8
09	धारवार	09	1321	12	12
10	उत्तर कन्नाड	10	648	8	8
11	हवेरी	11	470	4	4
12	वेल्लारी	12	1001	12	12
13	चित्रदुर्ग	13	396	4	4
14	दावनागेर	14	761	8	8
15	शिमोगा	15	769	8	8
16	उदुपी	16	354	4	4
17	चिंकमगलूर	17	287	4	4
18	तुमकुर	18	889	8	8
19	कोलार	19	1007	8	8
20	बंगलोर अरबन	20	2716	16	16
20	बंगलोर अरबन	28	6383	40	40
21	बंगलोर रूरल	21	562	8	8
22	मानड्या	22	391	4	4
23	हासन	23	402	8	8
24	दक्षिण कन्नाड	24	1134	12	12

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	कोडागू	25	88	4	4
26	मैसूर	26	1579	12	12
27	कामराजनगर	27	204	4	4
	कुल		27010	256	256
गोवा (30)					
01	गोआ उत्तर	01	531	16	16
02	गोआ दक्षिण	02	514	20	20
	कुल		1045	36	36
लक्षद्वीप (31)					
01	लक्षद्वीप	01	35	16	0
	कुल		35	16	0
केरल (32)					
01	कासारगोदा	01	245	8	12
02	कन्नूर	02	1592	32	48
03	वायानन्द	03	49	4	8
04	कोङ्गीकोड	04	1645	32	48
05	मालापुरम	05	528	12	16
06	पालाक्काद	06	505	12	16
07	त्रिचूर	07	1345	24	36
08	एर्णाकुलम	08	2420	32	48
09	इदुक्की	09	101	4	8
10	कोट्टायम	10	477	8	12
11	अलप्पुज्म	11	977	16	24
12	पथानामथिता	12	183	8	12

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	कोल्लाम	13	706	12	20
14	तिरुअनन्तपुरम	14	1587	28	40
	कुल		12360	232	348
तमिलनाडु (33)					
01	तिरुवल्लुर	01	2809	20	20
02	चेन्नई	32	7177	44	44
03	कांचिपुरम	03	3270	24	24
04	वेल्लौर	04	2194	20	20
05	धर्मपुरी	05	297	4	4
06	तिरुवन्नामलाई	06	638	8	8
07	विल्लुपुरम	07	676	8	8
08	सलेम	08	2413	20	20
09	नामक्किल	09	928	8	8
10	इरोड	10	1962	20	20
11	द नीलगिरि	11	672	8	8
12	कोयम्बटूर	12	5031	40	40
13	डिंडीगुल	13	1126	12	12
14	कारूर	14	540	8	8
15	तिरुचिरापल्ली	15	1949	16	16
16	पेराम्बलूर	16	117	4	4
17	अरियालुर	17	129	4	4
18	कुड्डालोर	18	1197	12	12
19	नागपत्तिनम	19	523	8	8
20	तिरुचरूर	20	368	4	4
21	तंजावुर	21	1282	12	12
22	पुदुकोट्टाई	22	363	4	4

प्रतिदर्श अभिकल्प एवं प्रकल्पन प्रक्रिया पर टिप्पणी

सारणी 3 स्तर आकार एवं नगरीय क्षेत्र के लिए आवंटन					
जिला		स्तर	आकार(एनएसटी)	आवंटन	
संकेतांक	नाम			केन्द्रीय प्रतिदर्श	राज्य प्रतिदर्श
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	सिवगंगई	23	560	8	8
24	मदुराई	24	2300	20	20
25	थेनी	25	1014	8	8
26	विरूद्धनगर	26	1254	12	12
27	रामनाथपुरम	27	431	8	8
28	तोथुकुडी	28	1060	12	12
29	तिरुनेलवेली	29	2052	20	20
30	कन्याकुमारी	30	1705	16	16
31	कृष्णागिरि	31	405	4	4
	कुल		46442	416	416
पोन्डीचेरी (34)					
01	यानम	01	56	4	4
02	पोन्डीचेरी	02	828	40	40
03	मोह	03	54	4	4
04	कराईकल	04	103	8	8
	कुल		1041	56	56
अण्डमान एवं निकोबार					
द्वीपसमूह(35)					
01	सभी जिला	01	202	36	0
	कुल		202	36	0
अखिल भारत - कुल योग			446633	5284	6396

सारणी 4 : बड़े नगरों की सूची (दस लाख 2001 की जनगणना में जनसंख्या) व्यक्तिगत स्तर के रूप माना जाय				
क्र. सं.	नगर का नाम	राज्य/के.शा.प्र.	राज्य संकेतांक	स्तर न.
1	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	28	24
2	पटना	बिहार	10	39
3	दिल्ली नगर निगम	दिल्ली	07	10
4	अहमदाबाद	गुजरात	24	26
5	सूरत	गुजरात	24	28
6	वदोदरा	गुजरात	24	27
7	फरीदाबाद	हरियाणा	06	21
8	बेंगलोर	कर्नाटक	29	28
9	भोपाल	मध्य प्रदेश	23	50
10	इंदौर	मध्य प्रदेश	23	49
11	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	27	40
12	कल्याण दोम्बीवली	महाराष्ट्र	27	38
13	नागपुर	महाराष्ट्र	27	36
14	नाशिक	महाराष्ट्र	27	37
15	पिंपरी चिंचवाड	महाराष्ट्र	27	41
16	पुणे	महाराष्ट्र	27	42
17	थाणे	महाराष्ट्र	27	39
18	लुधियाना	पंजाब	03	19
19	जयपुर	राजस्थान	08	33
20	चैन्नई	तमिल नाडू	33	32
21	आगरा	उत्तर प्रदेश	09	72
22	कानपुर	उत्तर प्रदेश	09	74
23	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	09	73
24	मेरठ	उत्तर प्रदेश	09	71
25	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	09	75
26	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	19	20
27	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	19	21

